भारत सरकार
पर्यावरण, वन एवं जलवायु परिवर्तन मंत्रालय
क्षेत्रीय कार्यालय (मध्य)
Ministry of Environment, Forest and Climate Change
Regional Office (Central Region)
केन्द्रीय भवन, पंचम तल, सेक्टर–एच, अलीगंज, लखनऊ–226024
Kendriya Bhawan, 5th Floor, Sector-H, Aliganj, Lucknow- 226024, Telefax: 2326696, 2324340, 2324047, 2324025
Email: (Env.) m_env@rediffmail.com, (Forest) goimoefrolko@gmail.com

पत्र सं0 8बी/राज0/06/10/2017/एफ.सी./10 दिनांक: 02.04.2019

सेवा में,

प्रधान मुख्य वन संरक्षक (वन संरक्षण) एवं नोडल अधिकारी,
वन विभाग, अरण्य भवन,
झालाना इंस्टीट्यूशनल एरिया, जयपुर, राजस्थान

Online Proposal No. FP/RAJ/ROAD/16889/2015

विषय: **Diversion of 6.86 ha. of forest land in favour of Public Work Department, Sawai Madhopur for widening, strengthening and reconstruction of Sawai Madhopur- Shivpuri road (SH-30) km. 82/700 to 93/390 at Tehsil and District Swai Madhopur with felling of 166 nos of trees- reg.**

सन्दर्भ: अति0 प्रधान मुख्य वन संरक्षक एवं नोडल अधिकारी, जयपुर राजस्थान का पत्रांक– एफ14 ( )/2015/एफ0सी0ए0/प्रमुवसं/468, दिनांक–20.02.2019.

महोदय,

उपरोक्त विषय पर शासन सचिव, राजस्थान शासन का पत्रांक–एफ14( )2015/एफसीए/प्रमुवसं/1423, दिनांक–19.05.2017 का आशय ग्रहण करने का कष्ट करें, जिसके द्वारा विषयांकित प्रस्ताव पर वन (संरक्षण) अधिनियम, 1980 की धारा (2) के अन्तर्गत भारत सरकार की स्वीकृति माँगी गयी थी।

प्रश्नगत प्रकरण में इस कार्यालय के समसंख्यक पत्र दिनांक 18.10.2017 द्वारा प्रस्ताव में सैद्वान्तिक स्वीकृति प्रदान की गयी थी जिसकी अनुपालना शासन सचिव, जयपुर, राजस्थान के उपरोक्त सन्दर्भित पत्र द्वारा प्रेषित की गयी है। प्रस्तुत अनुपालना पर विचारोपरान्त मुझे आपको यह सूचित करने का निर्देश हुआ है कि केन्द्र सरकार विषयांकित परियोजना हेतु 6.86 हे0 सरंक्षित वनभूमि का 166 वृक्षों के पातन के गैर वानिकी प्रयोग की विधिवत् स्वीकृति निम्नलिखित शर्तों पर प्रदान करती है–

1. वन भूमि की वैधानिक स्थिति में कोई परिवर्तन नही होगा।
2. प्रयोक्ता अभिकरण द्वारा वन विभाग के पक्ष में क्षतिपूरक वृक्षारोपण के अन्तर्गत प्रभावित वन क्षेत्र के दुगुने अवनत वनभूमि पर अर्थात् 13.72 हे0 (6.86 x 2= 13.72) हे0 पर 600 वृक्ष प्रति हेक्टेयर वृक्षारोपण एवं 10 वर्षो तक रखरखाव हेतु आवश्यक धनराशि (प्रचलित दरों को समाहित करते हुए यथासंशोधित) कैम्पा, नई दिल्ली में जमा की जाएगी।
3. अगर शुद्ध वर्तमान मूल्य की दरों में बढ़ोत्तरी होती है तो प्रयोक्ता अभिकरण द्वारा एन.पी.वी. की बढ़ी हुई दर की अतिरिक्त राशि जमा करनी होगी।
4. परियोजना के निर्माण व रख–रखाव के दौरान आस–पास के क्षेत्र की वनस्पतियों एंव जीव–जन्तुओं को किसी प्रकार की क्षति नहीं पहुँचायी जाएगी।
5. प्रयोक्ता अभिकरण एवं प्रभागीय निदेशक के वचनबद्धता के अनुसार मक डिस्पोजल वन क्षेत्र में निस्ताप्ति नहीं किया जायेगा, इसको सुनिश्चित करें।
6. प्रस्तावित वन क्षेत्र का सीमा स्तम्भों द्वारा सीमांकन प्रयोक्ता अभिकरण के व्यय पर किया जाएगा। यह सीमांकन 4फीट उंचे आर0सी0सी0 पीलर का किया जाएगा। जिसमें प्रत्येक पीलर पर कमांक,डी0जी0पी0एस0 निर्देशांक, Backward and Forward Bearing एवं अपने निकटवर्ती पीलर से दूरी दर्शायी जाएगी। यह कार्य प्रयोक्ता अभिकरण को विधिवत् स्वीकृति जारी होने के तीन माह के भीतर पूर्ण करना होगा एवं इसकी सूचना इस कार्यालय को भी दी जाएगी।

2/4/19

7. आई0आर0सी0 के मानकों के अनुरूप तथा माननीय राष्ट्रीय हरित अधिकरण (NGT) सैंट्रल जोन बेंच, भोपाल द्वारा प्रार्थना पत्र संख्या–27/2015 बाबूलाल जाजू बनाम राजस्थान सरकार में दिनांक–16.11.2015 में दिये गये आदेश की अनुपालना में प्रयोक्ता अभिकरण द्वारा स्वयं के व्यय पर वन विभाग की निगरानी में सड़क के दोनों तरफ तथा Median पर (यदि उपलब्ध है तो) वृक्षारोपण किया जाएगा।

8. प्रत्यावर्तित वन भूमि का उपयोग किसी भी अन्य प्रयोजन के लिए नहीं किया जायेगा।

9. प्रस्तावित वनभूमि के अतिरिक्त आस पास की वनभूमि से/पर निर्माण कार्य के दौरान मिट्टी/पत्थर काटने या भरने का कार्य नहीं किया जाएगा।

10. प्रयोक्ता अभिकरण द्वारा प्रस्तावित स्थल/वन क्षेत्र के आस पास मजदूरों/स्टाफ के लिए किसी भी प्रकार का कैम्प नहीं लगाया जायेगा।

11. प्रस्ताव में निहित किसी भी निर्धारित शर्त का अनुपालन नहीं होने अथवा असंतोषजनक अनुपालन होने की स्थिति में केन्द्र सरकार को इस विधिवत् स्वीकृति को निरस्त करने का अधिकार सुरक्षित है।

12. प्रयोक्ता अभिकरण एवं राज्य सरकार, वर्तमान एवं भविष्य में योजना पर लागू सभी नियम, कानून तथा दिशा निर्देशों का पालन करेगी।

भवदीय,

(बृजेन्द्र स्वरूप)
उप वन महानिरीक्षक (केन्द्रीय)

प्रतिलिपि सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु :–

1. अतिरिक्त वनमहानिदेशक एफ.सी., पर्यावरण, वन एंव जलवायु परिवर्तन मंत्रालय, इन्दिरा पर्यावरण भवन, जोरबाग रोड, नयी दिल्ली–110003.
2. निदेशक (आर0ओ0एच0क्यू0), पर्यावरण, वन एवं जलवायु परिवर्तन मंत्रालय, इन्दिरा पर्यावरण भवन, जोरबाग रोड, नयी दिल्ली–110003.
3. प्रमुख सचिव {वन}, सिविल सचिवालय, राजस्थान शासन जयपुर, राजस्थान।
4. ~~उप वन संरक्षक एवं उप क्षेत्र निदेशक (प्रथम), रणथम्भौर बाघ परियोजना, सवाई माधोपुर, राजस्थान।~~
5. अधिशासी अभियन्ता, सामाजिक निर्माण विभाग, द्वितीय, सवाई माधोपुर, राजस्थान।
6. तकनीकी अधिकारी, अनुभाग, पर्यावरण, वन एंव जलवायु परिवर्तन मंत्रालय, क्षेत्रीय कार्यालय, लखनऊ को वेबसाइट पर अपलोडिंग हेतु प्रेषित।
7. आदेश पत्रावली।

(बृजेन्द्र स्वरूप)
उप वन महानिरीक्षक (केन्द्रीय)

कार्यालय मुख्य वन संरक्षक वन्यजीव एवं क्षेत्र निदेशक रणथम्भौर बाघ परियोजना सवाई माधोपुर

क्रमांक एफ ( )विविध / मुवसंक्षेनि / 2018 / 893 दिनांक : 06-03.18

निमित :

अति.प्रधान मुख्य वन संरक्षक
एवं नोडल ऑफीसर (एफसीए)
वन सुरक्षा राज0 जयपुर।

Online Proposal No. FP/RAJ/ROAD/16889/2015

Sub: Diversion of 6.86 ha of forest land in favor of Public Works Department, Sawai Madhopur for wideing, strengthening and reconstruction of Sawai Madhopur – Shivpuri road (SH – 30) km 82/700 to 93/390 at Tehsil and Distt. Sawai Madhopur with felling of 166 nos of trees – reg.

प्रसंगः– अति0 प्रधान मुख्य वन संरक्षक एवं नोडल अधिकारी (एफसीए) वन सुरक्षा राज0 जयपुर का पत्रांक 879 दिनांक 15.02.18 एवं उप वन संरक्षक एवं उप क्षेत्र निदेशक(प्रथम) रणथम्भोर बाघ परियोजना, सवाई माधोपुर के पत्र कमांक 3068 दिनांक 06.03.18 के क्रम में

महोदय,

उपरोक्त विषयान्तर्गतएवं प्रासंगिक पत्र के क्रम में निवेदन है कि कार्यालय उप वन संरक्षक एवं उप क्षेत्रीय निदेशक (प्रथम) बाघ परियोजना रणथम्भौर सवाई माधोपुर के पत्रांक 3068 दिनांक 06.03.18 द्वारा लगाये गये आक्षेपों की पालना बिन्दुवार की जा चुकी है (छाया प्रति संलग्न है) । अतः विधिवत स्वीकृति हेतु अग्रिम कार्यवाही करवाने का कष्ट करें। प्रकरण पुनः कार्य प्रारम्भ करवाने की विधिवत स्वीकृति वास्ते प्रेषित है।

संलग्न : उपरोक्तानुसार

भवदीय

Sd

मुख्य वन संरक्षक
वन्य जीव एवं क्षेत्र निदेशक
रणथम्भौर बाघ परियोजना
सवाई माधोपुर

क्रमांक एफ ( )विविध / मुवसंक्षेनि / 2018 / 892-93 दिनांक : 6-3-18

प्रतिलिपि निम्न को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित है।

1. उप वन संरक्षक एवं उप क्षेत्र निदेशक (प्रथम) बाध परियोजना रणथम्भौर सवाई माधोपुर।
2. अधिशाषी अभिंयता, सार्वजनिक निमार्ण विभाग खण्ड–II, सवाई माधोपुर।

मुख्य वन संरक्षक
वन्य जीव एवं क्षेत्र निदेशक
रणथम्भौर बाघ परियोजना
सवाई माधोपुर

कार्यालय उप वन संरक्षक एवं उप क्षेत्रीय निदेशक (प्रथम) रणथम्भौर बाघ परियोजना सवाईमाधोपुर

क्रमांक एफ ( )/उवसं, प्रथम/17–18/ 3068 दिनांकः– 6-3-18

निमितः–

मुख्य वन संरक्षक वन्यजीव एवं
क्षेत्र निदेशक बाघ परियोजना
रणथम्भौर सवाई माधोपुर

Online Proposal No. FP/RAJ/ROAD/16889/2015

Sub: **Diversion of 6.86 ha of forest land in favor of Public Works Department, Sawai Madhopur for wideing, strengthening and reconstruction of Sawai Madhopur – Shivpuri road (SH – 30) km 82/700 to 93/390 at Tehsil and Distt. Sawai Madhopur with felling of 166 nos of trees – reg.**

प्रसंगः– पर्यावरण वन एवं जलवायु परिवर्तन मंत्रालय, क्षेत्रीय कार्यालय (मध्य) लखनउ के पत्रांक 8बी/राज0 06/10/2017/एफ.सी./534 दिनांक 18.10.2017 एवं कार्यालय अधिशाषी अभियंता सार्वजनिक निर्माण **विभाग खण्ड –II सवाई माधोपुर के पत्रांक 3114 दिनांक 18.01.18 के संदर्भ में।**

महोदय,

उपरोक्त विषयान्तर्गत प्रासंगिक पत्र के क्रम मे निवेदन है कि पर्यावरण वन एवं जलवायु परिवर्तन मंत्रालय, क्षेत्रीय कार्यालय (मध्य) लखनउ द्वारा अधिरोपित शर्तो की पालना रिपोर्ट निम्न प्रकार हैः–

क्रं.सं.	Observation	Compliance
1.	वन भूमि की वैधानिक स्थिति में कोई परिवर्तन नहीं होगा।	यूजर एजेंसी द्वारा वन भूमि की वैधानिक स्थिति में कोई परिवर्तन नहीं किया जावेगा। (शपथ पत्र संलग्न है।)
2.	प्रयोक्ता अभिकरण द्वारा वन विभाग के पक्ष में क्षतिपूरक वृक्षारोपण के अन्तर्गत प्रभावित वनक्षेत्र के दुगुने अवनत वनभूमि पर अर्थात 13.72 है0 पर 600 वृक्ष प्रति हैक्टयर वृक्षारोपण एवं 10 वर्षो तक रख–रखाव हेतु आवश्यक धनराशि (प्रचलित दरों को समाहित करते हुए यथासंशोधित) कैम्पा. नई दिल्ली में जमा की जाएगी।	यूजर एजेंसी द्वारा सार्वजनिक निर्माण विभाग खण्ड एन.एच.प्रथम जयपुर द्वारा वन मंडल सवाई माधोपुर आरक्षित वन खण्ड में 13.72 है0 भूमि पर क्षतिपूर्ति वृक्षारोपण राशि रू. 2805238.728/–जर्ये वास्ते दिनांक 19.12.2017 योजना प्राधिकरण के तदर्थ लेखा संख्या राजस्थान कैम्पा कॉरर्पोशन बैंक खाता सं. 150856116889350 में जर्ये चालान के द्वारा जमा करवा दिये गये है। (प्रति संलग्न)
3.	वन संरक्षण अधिनियम 1980 के दिशा निर्देशों के अनुरूप अपयोजन हेतु प्रस्तावित वनभूमि ज्यादा संरक्षित क्षेत्र (टाईगर रिजर्व) के अन्तर्गत स्थित होने के कारण देय शुद्व वर्तमान मुल्य (एन.पी.वी.) की निर्धारित राशि का पांच	यूजर एजेंसी द्वारा वन संरक्षण अधिनियम 1980 के दिशा निर्देशों के अनुरूप अपयोजन हेतु प्रस्तावित वनभूमि ज्यादा संरक्षित क्षेत्र (टाईगर रिजर्व)के अन्तर्गत

	गुना कैम्पा, नई दिल्ली के खातें में जमा की जायेगी। इसके अतिरिक्त टाइगर रिजर्व के अधीन पड़ने वाली उक्त परियोजना हेतु प्रस्तावित गैर वनभूमि के लिए लागू दर पर एन.पी.वी. की राशि भी वसूलनीय होगी जो कैम्पा, नई दिल्ली के खातें में जमा की जाऐगी।	स्थित होने के कारण देय शुद्व वर्तमान मुल्य (एन.पी.वी.) की निर्धारित राशि का पांच गुना राशि 21471800/—व अतिरिक्त टाईगर रिजर्व के अधीन पड़ने वाली उक्त परियोजना हेतु प्रस्तावित गेर वनभूमि के लिए लागू दर पर एन.पी.वी. की राशि रू0 1732330/— दिनांक 29.12.2017 योजना प्राधिकरण के तदर्थ लेखा संख्या राजस्थान कैम्पा कॉरर्पोशन बैंक खाता संख्या 150856116889350 में जर्ये चालान के द्वारा जमा करवा दिये गये है। (प्रति संलग्न है।)
4.	प्रयोक्ता अभिकरण द्वारा माननीय उच्चतम न्यायालय के रिट पीटीशन (सिविल) 202/1995 के अन्तर्गत आई.ए. संख्या 566 एवं भारत सरकार के पत्र संख्या 5—3/2007 एफ.सी. दिनांक 05.02.2009 के तहत में दिये गये आदेशानुसार उक्त एन.पी.वी. की राशि जमा की जायेगी।	यूजर एजेंसी द्वारा प्रयोक्ता अभिकरण द्वारा माननीय उच्चतम न्यायालय के रिट पीटीशन (सिविल) 202/1995 के अन्तर्गत आई.ए. संख्या 566 एवं भारत सरकार के पत्रांक 5—3/200/एफ.सी. दिनांक 05. 02.2009 के तहत में दिये गये आदेशानुसार उक्त एन.पी.वी. की राशि जर्ये चालान के द्वारा जमा करा दी गई है।
5.	प्रयोक्ता अभिकरण इस आशय का वचनबद्वता पत्र प्रस्तुत करेंगे की सक्षत स्तर से यदि एन.पी.वी. की धनराशि में बढ़ोत्तरी होती है तो बढ़ी धनराशि प्रयोक्ता अभिकरण द्वारा जमा की जायेगी।	यूजर एजेंसी द्वारा अन्डर टेकिंग प्रस्तुत कर दी गई है संलग्न है।
6.	विधिवत् स्वीकृति के बाद प्रस्तावित वनक्षेत्र का सीमा स्तम्भों द्वारा सीमांकन प्रयोक्ता अभिकरण के व्यय पर किया जाएगा। यह सीमांकन 4" फीट उंचे आर.सी.सी. पिलरों से किया जावेगा। जिसमें प्रत्येक पिलर पर क्रमांक डी.जी.पी.एस. निर्देशांक, Backward and Forward bearing एवं अपने निकटवर्ती पीलरों से दूरी दर्शायी जाएगी।	यूजर एजेंसी द्वारा विधिवत् स्वीकृति के बाद प्रस्तावित वनक्षेत्र का सीमा स्तम्भों द्वारा सीमांकन स्वयं के व्यय पर किया जायेगा। यह सीमांकन 4 फीट उंचे आरसीसी पिल्लरों से किया जावेगा। जिसमें प्रत्येक पिल्लर पर क्रमांक डी.जी. पी.एस. निर्देशांक Backward and Forward bearing , एवं निकटवर्ती पीलरों से दूरी दर्शायी जाएगी।(शपथ पत्र संलग्न है।)
7.	प्रयोक्ता अभिकरण इस आशय का वचनबद्वता पत्र प्रस्तुत करेंगे कि आई.आर.सी. के मानकों के अनुरूप तथा माननीय राष्ट्रीय हरित अभिकरण (NGT) सेंट्रल जॉन बेंच भोपाल द्वारा प्रार्थना पत्र संख्या 27/2015 बाबूलाल जाजू बनाम राजस्थान सरकार में दिनांक 16.11.2015 में दिये गये आदेश की अनुपालना में प्रयोक्ता अभिकरण द्वारा स्वयं के व्यय पर वन विभाग की निगरानी में सड़क के दोनो तरफ तथा Medain पर (यदि उपलब्ध है तो) वृक्षारोपण किया जायेगा।	यूजर एजेंसी द्वारा आई.आर.सी. के मानकों के अनुरूप तथा माननीय राष्ट्रीय हरित अभिकरण (NGT) सेंट्रल जॉन बेंच, भोपाल द्वारा प्रार्थना पत्र संख्या 27/2015 बाबूलाल जाजू बनाम राजस्थान सरकार में दिनांक 16.11.2015 में दिये गये आदेश की अनुपालना में प्रयोक्ता अभिकरण द्वारा स्वयं के व्यय पर वन विभाग की निगरानी में सड़क के दोनो ओर वृक्षारोपण किया जायेगा। (वचन बद्वता पत्र संलग्न है)
8.	प्रयोक्ता अभिकरण द्वारा मक डिस्पोजल योजना प्रभागीय वनाधिकारी द्वारा स्वीकृत कराकर इस कार्यालय को प्रेषित की जायेगी।	यूजर एजेंसी द्वारा प्रयोक्ता अभिकरण द्वारा मक डिस्पोजल वनक्षेत्र में निस्तापित नहीं किया जावेगा।(शपथ पत्र संलग्न है।)

9.	प्रयोक्ता अभिकरण एवं राज्य सरकार यह सुनिश्चित करेंगे कि प्रस्तावित प्रकरण में विधिवत् स्वीकृति से पूर्व किसी भी प्रकार से वन संरक्षण अधिनियम 1980 का उल्लंधन नहीं किया जायेगा।	यूजर एजेंसी द्वारा प्रयोक्ता अभिकरण एवं राज्य सरकार द्वारा विधिवत् स्वीकृति से पूर्व किसी प्रकार से वन संरक्षण अधिनियम 1980 का उल्लंधन नहीं किया जावेगा। (शपथ पत्र संलग्न है।)
10.	सैद्वान्तिक स्वीकृति की अनुपालना में प्रेषित करते हुए संबंधित प्रभागीय वनाधिकारी प्रकरण में वन संरक्षण अधिनियम 1980 के उल्लंघन के विषय में सूचना /प्रमाण पत्र प्रस्तुत करेंगें।	यूजर एजेंसी द्वारा प्रयोक्ता अभिकरण द्वारा वन संरक्षण अधिनियम 1980 का कोई उल्लेख नहीं किया गया है। (शपथ पत्र संलग्न है।)
11.	प्रयोक्ता अभिकरण द्वारा वन विभाग के पक्ष में अपयोजित वनभूमि के समतुल्य गैर वनभूमि में क्षतिपूरक वृक्षारोपण एवं 10 वर्षो तक रख–रखाव हेतु आवश्यक धनराशि (वर्तमान वेतन दरों को समाहित करते हुए यथासंशोधित) कैम्पा नई दिल्ली में जमा की जाएगी। उक्त गेर वनभूमि का वन विभाग के पक्ष में हस्तांतरण एवं नामांतरण किया जायेगा तथा इस भूमि का 6 माह के भीतक आरक्षित/संरक्षित वनभूमि घोषित किया जायेगा। साथ ही उक्त भूमि निकट के अभ्यारण्य क्षेत्र के अन्तर्गत समावेशित एवं तदनुसार अभ्यारण्य क्षेत्र का हिस्सा अधिसूचित की जायेगी।	यूजर एजेंसी द्वारा प्रयोक्ता अभिकरण द्वारा वन विभाग के पक्ष में अपयोजित वनभूमि के समतुल्य गैर वनभूमि मे क्षतिपूरक वृक्षारोपण एवं 10 वर्षो तक रख–रखाव हेतु आवश्यक धनराशि (वर्तमान वेतन दरों को समाहित करते हुए यथासंशोधित) 2805238.728 वास्ते दिनांक 19.12.2017 योजना प्राधिकरण के तदर्थ लेखा संख्या राजस्थान कैम्पा कॉरर्पोशन बैंक के खाता संख्या 150856116889350 में जर्ये चालान के द्वारा जमा करवा दिये गये है। उक्त गैर वनभूमि का वन विभाग के पक्ष में हस्तांतरण एवं नामांतरण करा दिया है। (शपथ पत्र संलग्न है।)
12.	प्रयोक्ता अभिकरण एवं राज्य सरकार वर्तमान तथा भविष्य में लागू सभी नियम, कानून तथा दिशा निर्देशों का पालन करेगी।	यूजर एजेंसी द्वारा प्रयोक्ता अभिकरण वर्तमान एवं भविष्य में योजना पर लागू सभी नियम कानून एवं दिशा निर्देशों का पालना करने का वचनबद्व है। शपथ पत्र संलग्न है।

अतः श्रीमान्जी से निवेदन है कि विधिवत् स्वीकृति हेतु अग्रिम कार्यवाही करवाने का कष्ट करें, ताकि उपरोक्त परियोजना का कार्य वनक्षेत्र में चालू करवाया जा सकें।

संलग्न :- उपरोक्तानुसार

भवदीय

(बिजो जॉय)
उप वन संरक्षक एवं उप क्षेत्र निदेशक
(प्रथम) बाघ परियोजना रणथम्भौर
सवाई माधोपुर

कमांक एफ ( )/उवसं, प्रथम/17–18/ 3069-70 दिनांक: 6-3-18

प्रतिलिपि निम्न को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित है।

1. अति.प्रधान मुख्य वन संरक्षक एवं नोडल ऑफीसर (एफसीए) वन सुरक्षा राज0 जयपुर।
2. अधिशाषी अभियंता सार्वजनिक निर्माण विभाग खण्ड –II सवाई माधोपुर ।

उप वन संरक्षक एवं उप क्षेत्र निदेशक
(प्रथम) बाघ परियोजना रणथम्भौर
सवाई माधोपुर

D:\my document1\Mar 2018\PA.docx

कार्यालय अधिशाषी अभियन्ता सा.नि.वि.रा.रा.मार्ग खण्ड–प्रथम जयपुर

क्रमांकः– 490 दिनांकः– 13-05-19

श्रीमान अतिरिक्त प्रधान मुख्य वन संरक्षक,
प्रोटेक्शन एवं नोडल अधिकारी एफसीए
अरण्य भवन झालाना जयपुर।

Online Proposal No. FP/RAJ/ROAD/16889/2015

विषयः Diversion of 6.86 ha.of forest land in favour of Public Work Department , Sawai Madhopur for widening, strengthening and reconstruction of Sawai Madhopur-Shivpuri road (SH-30) Km. 82/700 to 93/390 at Tehsil and District Sawai Madhopur with felling of 166 nos of trees-reg. (Job No 552E /RJ/ 2017-18/700.) (EPC Mode).के अन्तगर्त द्वितीय स्टेज की स्वीकृति जारी करने के कम में।

सन्दर्भः श्रीमान उपवन महानिरीक्षक (केन्द्रीय) पर्यावरण, वन एवं जयवायु परिवर्तन मंत्रालय क्षेत्रीय कार्यलय (मध्य) भारत सरकार केन्दीय भवन लखनउ के पत्र संख्या 8 बी/ राज/06/ 10/2017/ एफ.सी/10 दिनांक 02.04.2019 एवं इस कार्यालय के पत्र कमांक 306–12 दिनांक 24.04.2019 के कम में

महोदय,

उपरोक्त विषय में निवेदन है कि उक्त निर्माण कार्य हेतु श्रीमान उपवन महानिरीक्षक (केन्द्रीय) पर्यावरण, वन एवं जयवायु परिवर्तन मंत्रालय क्षेत्रीय कार्यलय (मध्य) भारत सरकार केन्द्रीय भवन लखनउ के पत्र संख्या 8 बी/ राज/06/10/2017/एफ.सी/10 दिनांक 02.04.2019 के द्वारा द्वितीय स्तर की विधिवत स्वीकृति निम्नलिखित शर्तो पर प्रदान की गई है।जिसकी बिन्दुवार पालना निम्नानुसार किये जाने की वचनबद्वता निम्नानुसार हैः–

शर्त संख्या	शर्ते	अनुपालना
1	वन भूमि की वैधानिक स्थिति में कोई परिवर्तन नहीं होगा।	पर्यावरण, वन एवं जयवायु परिवर्तन मंत्रालय क्षेत्रीय कार्यलय (मध्य) भारत सरकार केन्द्रीय भवन लखनउ के पत्र संख्या 8 बी/ राज/06/10/2017/ एफ.सी/10 दिनांक 02.04.2019 के बिन्दु संख्या 1 के अनुसार वन भूमि की वैधानिक स्थिति में कोई परिवर्तन नहीं किया जावेगा।
2	प्रयोक्ता अभिकरण द्वारा वन विभाग के पक्ष में क्षतिपुरक वृक्षारोपण के अन्तगर्त प्रभावित वन क्षेत्र के दुगुने अवनत वनभूमि पर अर्थात 13.72 हे0 (6.86X2=13.72) हे0 पर 600 वृक्ष प्रति हेक्टेयर वृक्षारोपण एवं 10 वर्षो तक रखरखाव हेतु आवश्यक धनराशि (प्रचिलित दरों को समाहित करते हुए यथासंशोधित) कैम्पा, नई दिल्ली में जमा की जाएगी।	पर्यावरण, वन एवं जयवायु परिवर्तन मंत्रालय क्षेत्रीय कार्यलय (मध्य) भारत सरकार केन्द्रीय भवन लखनउ के पत्र संख्या 8 बी/ राज/06/ 10/2017/ एफ.सी/10 दिनांक 02.04.2019 के बिन्दु संख्या 2 के अनुसार सार्वजनिक निर्माण विभाग रा.रा.मार्ग खण्ड प्रथम जयपुर के द्वारा मोर्थ के माध्यम से वन मण्डल सवाईमाधोपुर वन खण्ड में 13.72 है0 भूमि पर वृक्षारोपण राशि रु. 26009369/– राजस्थान कैम्पा, कार्पोरेशन बैंक खाता सख्या 150856116889350 में दिनांक 29.12.2017 को जमा करवा दिये गये है।
3	अगर शुद्व वर्तमान मूल्य की दरों में बढोत्तरी होती है तो प्रयोक्ता अभिकरण द्वारा एन.पी.वी. की बढी हुइ दर की अतिरिक्त राशि जमा	पर्यावरण, वन एवं जयवायु परिवर्तन मंत्रालय क्षेत्रीय कार्यलय (मध्य) भारत सरकार केन्द्रीय भवन लखनउ के पत्र संख्या 8 बी/ राज/06/ 10/2017/ [illegible] सी/10 दिनांक 02.04.2019 [illegible]

कार्यालय अधिशाषी अभियन्ता सा.नि.वि.रा.रा.मार्ग खण्ड–प्रथम जयपुर

कमांकः– 490 दिनांकः– 13-05-19

श्रीमान अतिरिक्त प्रधान मुख्य वन संरक्षक,
प्रोटेक्शन एवं नोडल अधिकारी एफसीए
अरण्य भवन झालाना जयपुर।

Online Proposal No. FP/RAJ/ROAD/16889/2015

विषयः Diversion of 6.86 ha.of forest land in favour of Public Work Department , Sawai Madhopur for widening, strengthening and reconstruction of Sawai Madhopur-Shivpuri road (SH-30) Km. 82/700 to 93/390 at Tehsil and District Sawai Madhopur with felling of 166 nos of trees-reg. (Job No 552E /RJ/ 2017-18/700.) (EPC Mode).के अन्तगर्त द्वितीय स्टेज की स्वीकृति जारी करने के कम में।

सन्दर्भः श्रीमान उपवन महानिरीक्षक (केन्द्रीय) पर्यावरण, वन एवं जयवायु परिवर्तन मंत्रालय क्षेत्रीय कार्यलय (मध्य) भारत सरकार केन्द्रीय भवन लखनउ के पत्र संख्या 8 बी/ राज/06/ 10/2017/ एफ.सी/10 दिनांक 02.04.2019 एवं इस कार्यालय के पत्र कमांक 306–12 दिनांक 24.04.2019 के कम में

महोदय,

उपरोक्त विषय में निवेदन है कि उक्त निर्माण कार्य हेतु श्रीमान उपवन महानिरीक्षक (केन्द्रीय) पर्यावरण, वन एवं जयवायु परिवर्तन मंत्रालय क्षेत्रीय कार्यलय (मध्य) भारत सरकार केन्द्रीय भवन लखनउ के पत्र संख्या 8 बी/ राज/06/10/2017/एफ.सी/10 दिनांक 02.04.2019 के द्वारा द्वितीय स्तर की विधिवत स्वीकृति निम्नलिखित शर्तो पर प्रदान की गई है।जिसकी बिन्दुवार पालना निम्नानुसार किये जाने की वचनबद्वता निम्नानुसार हैः–

शर्त संख्या	शर्ते	अनुपालना
1	वन भूमि की वैधानिक स्थिति में कोई परिवर्तन नहीं होगा।	पर्यावरण, वन एवं जयवायु परिवर्तन मंत्रालय क्षेत्रीय कार्यलय (मध्य) भारत सरकार केन्द्रीय भवन लखनउ के पत्र संख्या 8 बी/ राज/06/10/2017/ एफ.सी/10 दिनांक 02.04.2019 के बिन्दु संख्या 1 के अनुसार वन भूमि की वैधानिक स्थिति में कोई परिवर्तन नहीं किया जावेगा।
2	प्रयोक्ता अभिकरण द्वारा वन विभाग के पक्ष में क्षतिपुरक वृक्षारोपण के अन्तगर्त प्रभावित वन क्षेत्र के दुगुने अवनत वनभूमि पर अर्थात 13.72 हे0 (6.86X2=13.72) हे0 पर 600 वृक्ष प्रति हेक्टेयर वृक्षारोपण एवं 10 वर्षो तक रखरखाव हेतु आवश्यक धनराशि (प्रचिलित दरों को समाहित करते हुए यथासंशोधित) कैम्पा, नई दिल्ली में जमा की जाएगी।	पर्यावरण, वन एवं जयवायु परिवर्तन मंत्रालय क्षेत्रीय कार्यलय (मध्य) भारत सरकार केन्द्रीय भवन लखनउ के पत्र संख्या 8 बी/ राज/06/ 10/2017/ एफ.सी/10 दिनांक 02.04.2019 के बिन्दु संख्या 2 के अनुसार सार्वजनिक निर्माण विभाग रा.रा.मार्ग खण्ड प्रथम जयपुर के द्वारा मोर्थ के माध्यम से वन मण्डल सवाईमाधोपुर वन खण्ड में 13.72 है0 भूमि पर वृक्षारोपण राशि रु. 26009369/– राजस्थान कैम्पा, कार्पोरेशन बैंक खाता सख्या 150856116889350 में दिनांक 29.12.2017 को जमा करवा दिये गये है।
3	अगर शुद्व वर्तमान मूल्य की दरों में बढोत्तरी होती है तो प्रयोक्ता अभिकरण द्वारा एन.पी.वी. की बढी हुइ दर की अतिरिक्त राशि जमा करनी होगी।	पर्यावरण, वन एवं जयवायु परिवर्तन मंत्रालय क्षेत्रीय कार्यलय (मध्य) भारत सरकार केन्द्रीय भवन लखनउ के पत्र संख्या 8 बी/ राज/06/ 10/2017/ एफ.सी/10 दिनांक 02.04.2019 के बिन्दु संख्या 3 के अनुसार सक्षम स्तर से यदि एन.पी.वी. की धन राशि में

		बढोत्तरी होती है तो बढी हुई धन राशि विभाग के द्वारा जमा करवाई जावेगी।
4	परियोजजा के निर्माण व रख–रखाव के दौरान आस–पास के क्षेत्र की वनस्पतियों एवं जीव–जन्तुओं को किसी प्रकार की क्षति नहीं पहुँचायी जाएगी।	पर्यावरण, वन एवं जयवायु परिवर्तन मंत्रालय क्षेत्रीय कार्यलय (मध्य) भारत सरकार केन्द्रीय भवन लखनउ के पत्र संख्या 8 बी/ राज/06/10/2017/ एफ.सी/10 दिनांक 02.04.2019 के बिन्दु संख्या 4 के अनुसार परियोजजा के निर्माण व रख–रखाव के दौरान आस–पास के क्षेत्र की वनस्पतियों एवं जीव–जन्तुओं को किसी प्रकार की क्षति नहीं पहुँचायी जाएगी।
5	प्रयोक्ता अभिकरण एवं प्रभागीय निदेशक के वचनबद्वता के अनुसार मक डिस्पोजल वन क्षेत्र में निस्ताप्ति नहीं किया जायेगा, इसको सुनिश्चित करें।	पर्यावरण, वन एवं जयवायु परिवर्तन मंत्रालय क्षेत्रीय कार्यलय (मध्य) भारत सरकार केन्द्रीय भवन लखनउ के पत्र संख्या 8 बी/ राज/06/10/2017/ एफ.सी/10 दिनांक 02.04.2019 के बिन्दु संख्या 5 के अनुसार प्रयोक्ता अभिकरण मक डिस्पोजल वन क्षेत्र में निस्ताप्ति नहीं किया जायेगा
6	प्रस्तावित वन क्षेत्र का सीमा स्तम्भों द्वारा सीमांकन प्रयोक्ता अभिकरण के व्यय पर किया जाएगा। यह सीमांकन 4 फीट उंचे आर0सी0सी0 पीलर का किया जाएगा। जिसमें प्रत्येक पीलर पर कमांक,डी0जी0पी0एस0 निर्देशांक Backward and Forward Bearing एवं अपने निकटवर्ती पीलर से दुरी दर्शायी जाएगी। यह कार्य प्रयोक्ता अभिकरण को विधिवत स्वीकृत जारी होने के तीन माह के भीतर पूर्ण करना होगा एवं इसकी सूचना इस कार्यालय को भी दी जाएगी।	पर्यावरण, वन एवं जयवायु परिवर्तन मंत्रालय क्षेत्रीय कार्यलय (मध्य) भारत सरकार केन्द्रीय भवन लखनउ के पत्र संख्या 8 बी/ राज/06/ 10/2017/ एफ.सी/10 दिनांक 02.04.2019 के बिन्दु संख्या 6 के अनुसार विधिवत स्वीकृति के बाद प्रस्तावित वन क्षेत्र का सीमा स्तम्भों द्वारा सीमांकन प्रयोक्ता अभिकरण के व्यय पर किया जाएगा। यह सीमांकन 4 फीट उंचे आर0सी0सी0 पीलरों से किया जाएगा। जिसमें प्रत्येक पीलर पर कमांक,डी0जी0पी0एस0 निर्देशांक Backward and Forward Bearing एवं अपने निकटवर्ती पीलर से दुरी दर्शायी जाएगी। यह कार्य विधिवत स्वीकृत जारी होने के तीन माह के भीतर पूर्ण किया जावेगा एवं इसकी सूचना वन विभाग को दी जावेगी।
7	आई0आर0सी0 के मानकों के अनुरुप तथा माननीय राष्ट्रीय हरित अधिकरण (NGT) सैंट्रल जोन बेंच, भोपाल द्वारा प्रार्थना पत्र संख्या–27/2015 बाबूलाल जाजू बनाम राजस्थान सरकार में दिनांक–16.11.2015 में दिये गये आदेश की अनुपालना में प्रयोक्ता अभिकरण द्वारा स्वयं के व्यय पर वन विभाग की निगरानी में सडक के दोनों तरफ तथा Median पर (यदि उपलब्ध है तो) वृक्षारोपण किया जाएगा।	पर्यावरण, वन एवं जयवायु परिवर्तन मंत्रालय क्षेत्रीय कार्यलय (मध्य) भारत सरकार केन्द्रीय भवन लखनउ के पत्र संख्या 8 बी/ राज/06/10/2017/ एफ.सी/10 दिनांक 02.04.2019 के बिन्दु संख्या 7 के अनुसार आई0आर0सी0 के मानकों के अनुरुप तथा माननीय राष्ट्रीय हरित अधिकरण (NGT) सैंट्रल जोन बेंच, भोपाल द्वारा प्रार्थना पत्र संख्या–27/2015 बाबूलाल जाजू बनाम राजस्थान सरकार में दिनांक–16.11.2015 में दिये गये आदेश की अनुपालना में प्रयोक्ता अभिकरण द्वारा स्वयं के व्यय पर वन विभाग की निगरानी में सडक के दोनों तरफ वृक्षारोपण किया जाएगा।
8	प्रत्यवर्तित वन भूमि का उपयोग किसी भी अन्य प्रयोजन के लिए नहीं किया जायेगा।	पर्यावरण, वन एवं जयवायु परिवर्तन मंत्रालय क्षेत्रीय कार्यलय (मध्य) भारत सरकार केन्द्रीय भवन लखनउ के पत्र संख्या 8 बी/ राज/06/10/2017/ एफ.सी/10 दिनांक 02.04.2019 के बिन्दु संख्या 8 के अनुसार

		प्रत्यवर्तित वन भूमि का उपयोग किसी भी अन्य प्रयोजन के लिए नहीं किया जायेगा।
9	प्रस्तावित वनभूमि के अतिरिक्त आस पास की वनभूमि से/पर निर्माण कार्य के दौरान मिटटी/पत्थर काटने या भरने का कार्य नहीं किया जाएगा।	पर्यावरण, वन एवं जयवायु परिवर्तन मंत्रालय क्षेत्रीय कार्यलय (मध्य) भारत सरकार केन्द्रीय भवन लखनउ के पत्र संख्या 8 बी/ राज/06/10/2017/ एफ.सी/10 दिनांक 02.04.2019 के बिन्दु सख्या 9 के अनुसार प्रस्तावित वनभूमि के अतिरिक्त आस पास की वनभूमि से/पर निर्माण कार्य के दौरान मिटटी/पत्थर काटने या भरने का कार्य नहीं किया जाएगा।
10	प्रयोक्ता अभिकरण द्वारा प्रस्तावित स्थल/वन क्षेत्र के आस पास मजदुरों/स्टाफ के लिए किसी भी प्रकार का कैम्प नहीं लगाया जायेगा।	पर्यावरण, वन एवं जयवायु परिवर्तन मंत्रालय क्षेत्रीय कार्यलय (मध्य) भारत सरकार केन्द्रीय भवन लखनउ के पत्र संख्या 8 बी/ राज/06/10/2017/ एफ.सी/10 दिनांक 02.04.2019 के बिन्दु संख्या 10 के अनुसार प्रयोक्ता अभिकरण द्वारा प्रस्तावित स्थल/वन क्षेत्र के आस पास मजदुरों/स्टाफ के लिए किसी भी प्रकार का कैम्प नहीं लगाया जायेगा।
11	प्रस्ताव मे निहित किसी भी निर्धारित शर्त का अनुपालन नहीं होने अथवा असंतोषजनक अनुपालन होने की स्थिति में केन्द्र सरकार को इस विधिवत स्वीकृति को निरस्त करने का अधिकार सुरक्षित है।	पर्यावरण, वन एवं जयवायु परिवर्तन मंत्रालय क्षेत्रीय कार्यलय (मध्य) भारत सरकार केन्द्रीय भवन लखनउ के पत्र संख्या 8 बी/ राज/06/10/2017/ एफ.सी/10 दिनांक 02.04.2019 के बिन्दु संख्या 11 के अनुसार प्रस्ताव मे निहित किसी भी निर्धारित शर्त का अनुपालन नहीं होने अथवा असंतोषजनक अनुपालन होने की स्थिति में केन्द्र सरकार को इस विधिवत स्वीकृति को निरस्त करने का अधिकार सुरक्षित है।
12	प्रयोक्ता अभिकरण एवं राज्य सरकार, वर्तमान एवं भविष्य में योजना पर लागू सभी नियम, कानून तथा दिशा निर्देशों का पालन करेगी।	पर्यावरण, वन एवं जयवायु परिवर्तन मंत्रालय क्षेत्रीय कार्यलय (मध्य) भारत सरकार केन्द्रीय भवन लखनउ के पत्र संख्या 8 बी/ राज/06/10/2017/ एफ.सी/10 दिनांक 02.04.2019 के बिन्दु संख्या 12 के अनुसार प्रयोक्ता अभिकरण एवं राज्य सरकार, वर्तमान एवं भविष्य में योजना पर लागू सभी नियम, कानून तथा दिशा निर्देशों का पालन किया जावेगा।

अतः आपसे निवेदन है कि उक्त प्रकरण में द्वितीय स्तर की स्वीकृति आपके स्तर पर जारी करवाने का कष्ट करे एवं द्वितीय स्तर की स्वीकृति का प्रकाशन समाचार पत्रों में करवाया जाना है या नहीं इस कार्यालय को निर्देशित करने का कष्ट करे। इस कार्यालय के द्वारा पूर्व में प्रथम स्तर की स्वीकृति का प्रकाशन दो समाचार पत्रो में करवाया जा चुका है जिसकी सूचना आपके कार्यालय को पूर्व में प्रस्तुत की जा चुकी है। सूचनार्थ एवं अग्रिम आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रस्तुत है।

भवदीय

(अजय भूषण)
अधिशाषी अभियन्ता
सा0नि0वि0रा0रा0मार्ग
खण्ड प्रथम जयपुर

क्रमांकः 4190 – 96   दिनांकः 13/05/19

प्रतिलिपि निम्नलिखित को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रस्तुत/ प्रेषित हैः–

1. श्रीमान मुख्य अभियन्ता(एन0एच0) सा0नि0वि0 राजस्थान जयपुर।
2. श्रीमान मुख्य अभियन्ता एवं क्षेत्रीय अधिकारी सडक परिवहन एवं राजमार्ग मंत्रालय डी.सी.एम अजमेर रोड जयपुर।
3. .श्रीमान अतिरिक्त मुख्य अभियन्ता सा0नि0वि0 संभाग टोंक।
4. श्रीमान परियोजना निर्देशक एवं अधीक्षण अभियन्ता सा.नि.वि. रा.रा.मार्ग वृत जयपुर ।
5. श्रीमान उप वन संरक्षक एवं उप क्षेत्र निदेशक (प्रथम) बाघ परियोजना रणथम्भौर सवाईमाधोपुर।
6. सहायक अभियन्ता सा.नि.वि. रा.रा.मार्ग उपखण्ड दौसा को भेजकर लेख है कि उक्त प्रकरण में आप वन विभाग में सम्पर्क कर द्वितीय स्तर की स्वीकृति जारी करवाने की कार्यवाही करें , एवं प्रगति से इस कार्यालय को अवगत करावें।

(अजय भूपेश)
अधिशाषी अभियन्ता
सा0नि0वि0रा0रा0मार्ग
खण्ड प्रथम जयपुर

भारतीय गैर न्यायिक

एक सौ रुपये Rs. 100

रु. 100 ONE HUNDRED RUPEES

सत्यमेव जयते

भारत INDIA

INDIA NON JUDICIAL

शपथ-पत्र

राजस्थान RAJASTHAN AL 976769

[illegible] सरकार द्वारा जारी सैद्धान्तिक स्वीकृति दिनांक 18.10.2017 की बिन्दुवार पालना [illegible] किये जाने की वचनबद्धता निम्न प्रकार है :-

1. पर्यावरण वन एवं जलवायु परिवर्तन मंत्रालय क्षेत्रीय कार्यालय (मध्य) लखनऊ के पत्र संख्या संख्या 8बी/राज0/06/10/2017/एफ.सी./534 दि.18.10.2017 के बिन्दु संख्या 1 के अनुसार वनभूमि की वैधानिक भूमि में कोई परिवर्तन नही किया जायेगा।
2. पर्यावरण वन एवं जलवायु परिवर्तन मंत्रालय क्षेत्रीय कार्यालय (मध्य) लखनऊ के पत्र संख्या संख्या 8बी/राज0/06/10/2017/एफ.सी./534 दि.18.10.2017 के बिन्दु संख्या 5 के अनुसार सक्षम स्तर से यदि एनपीवी की धनराशि में बढोतरी होती है तो बडी हुई धनराशि विभाग के द्वारा जमा करवाई जायेगी।
3. पर्यावरण वन एवं जलवायु परिवर्तन मंत्रालय क्षेत्रीय कार्यालय (मध्य) लखनऊ के पत्र संख्या संख्या 8बी/राज0/06/10/2017/एफ.सी./534 दि.18.10.2017 के बिन्दु संख्या 6 के अनुसार विधिवत स्वीकृति के बाद प्रस्तावित वनक्षेत्र का सीमा स्तम्भों द्वारा सीमाकंन स्वयं के व्यय पर किया जावेगा। यह सीमाकंन चार फिट उचे आरसीसी पिल्लरो से किया जायेगा जिसमें प्रत्येक पिल्लर पर क्रमांक डीजीएस निर्देशांक Backward and Forward bearing एवं अपनें निकटवर्ती पीलरों से दूरी दर्शायी जाएगी।
4. पर्यावरण वन एवं जलवायु परिवर्तन मंत्रालय क्षेत्रीय कार्यालय (मध्य) लखनऊ के पत्र संख्या संख्या 8बी/राज0/06/10/2017/एफ.सी./534 दि.18.10.2017 के बिन्दु संख्या 7 के अनुसार आईआरसी के मानको के अनुरुप तथा माननीय राष्ट्रीय हरित अभिकरण (एनजीटी) सेन्ट्रल जॉन बेंच भोपाल द्वारा प्रार्थना पत्र संख्या 27/2015 बाबू लाल जाजू बनाम राजस्थान सरकार में दिनांक 16.11.2015 मे दिये गये आदेश की अनुपालना में प्रयोक्ता अभिकरण द्वारा स्वयं के व्यय पर वन विभाग की निगरानी में सडक के दोनो तरफ वृक्षारोपण किया जायेगा।
5. पर्यावरण वन एवं जलवायु परिवर्तन मंत्रालय क्षेत्रीय कार्यालय (मध्य) लखनऊ के पत्र संख्या संख्या 8बी/राज0/06/10/2017/एफ.सी./534 दि.18.10.2017 के बिन्दु संख्या 8 के अनुसार प्रयोक्ता अभिकरण मकडिस्पोजल वनक्षेत्र में निरतापित नही किया जावेगा।
6. पर्यावरण वन एवं जलवायु परिवर्तन मंत्रालय क्षेत्रीय कार्यालय (मध्य) लखनऊ के पत्र संख्या संख्या 8बी/राज0/06/10/2017/एफ.सी./534 दि.18.10.2017 के बिन्दु संख्या 9 के अनुसार प्रयोक्ता अभिकरण एवं राजस्थान सरकार द्वारा विधिवत स्वीकृति से पूर्व किसी प्रकार से वनसंरक्षण अधिनियम 1980 का उल्लंखन नही किया जावेगा।
7. पर्यावरण वन एवं जलवायु परिवर्तन मंत्रालय क्षेत्रीय कार्यालय (मध्य) लखनऊ के पत्र संख्या संख्या 8बी/राज0/06/10/2017/एफ.सी./534 दि.18.10.2017 के बिन्दु संख्या 10 के अनुसार प्रयोक्ता अभिकरण द्वारा वनसंरक्षण अधिनियम 1980 का कोई उल्लंखन नही किया गया है।
8. पर्यावरण वन एवं जलवायु परिवर्तन मंत्रालय क्षेत्रीय कार्यालय (मध्य) लखनऊ के पत्र संख्या संख्या 8बी/राज0/06/10/2017/एफ.सी./534 दि.18.10.2017 के बिन्दु संख्या 12 के अनुसार प्रयोक्ता अभिकरण द्वारा वर्तमान एवं भविष्य में योजनाओ पर लागू सभी नियम, कानून एवं दिशा निर्देशो का पालना किया जावेगा।

स्थान :- सवाई माधोपुर

दिनांक ....

शपथग्रहिता

E:\D\XEN RR MEENA/conservation of forest sh-30

उप वन संरक्षक एवं क्षेत्रीय निदेशक
(प्रथम) रणथम्भौर बाघ परियोजना
सवाई माधोपुर

अधिशाषी अभियन्ता
सा.नि.वि. खण्ड द्वितीय स.मा.

शपथ पत्र
(शर्त नम्बर 1)

पर्यावरण वन एवं जलवायु परिवर्तन मंत्रालय क्षेत्रीय कार्यालय (मध्य) लखनऊ के पत्र संख्या संख्या 8बी/राज0/06/10/2017/एफ.सी./534 दि.18.10.2017 के बिन्दु संख्या 1 के अनुसार वनभूमि की वैधानिक भूमि में कोई परिवर्तन नही किया जायेगा।

(रामराज मीणा)
अधिशाषी अभियन्ता
अधिशाषी अभियन्ता स.मा.
सा.नि.वि. खण्ड-।। स.माधोपुर

उप वन संरक्षक एवं उप क्षेत्र निदेशक
(प्रथम) रणथम्भौर बाघ परियोजना
सवाई माधोपुर

E:\D\XEN RR MEENA/conservation of forest sh-30

शपथ पत्र

(शर्त नम्बर 5)

पर्यावरण वन एवं जलवायु परिवर्तन मंत्रालय क्षेत्रीय कार्यालय (मध्य) लखनऊ के पत्र संख्या संख्या 8बी/राज0/06/10/2017/एफ.सी./534 दि.18.10.2017 के बिन्दु संख्या 5 के अनुसार सक्षम स्तर से यदि एनपीवी की धनराशि में बडोतरी होती है तो बडी हुई धनराशि विभाग के द्वारा जमा करवाई जायेगी।

उप वन संरक्षक एवं क्षेत्रीय निदेशक
(प्रथम) रणथम्भौर बाघ परियोजना
सवाई माधोपुर

(आर.आर. मीणा)
अधिशाषी अभियन्ता
अधिशाषी अभियन्ता स.मा.
सा.नि.वि. खण्ड-।। स.माधोपुर

E:\D\XEN RR MEENA/conservation of forest sh-30

शपथ पत्र
(शर्त नम्बर 6)

पर्यावरण वन एवं जलवायु परिवर्तन मंत्रालय क्षेत्रीय कार्यालय (मध्य) लखनऊ के पत्र संख्या संख्या 8बी/राज0/06/10/2017/एफ.सी./534 दि.18.10.2017 के बिन्दु संख्या 6 के अनुसार विधिवत स्वीकृति के बाद प्रस्तावित वनक्षेत्र का सीमा स्तम्भों द्वारा सीमाकंन स्वयं के व्यय पर किया जावेगा। यह सीमाकंन चार फिट उचे आरसीसी पिल्लरो से किया जायेगा जिसमें प्रत्येक पिल्लर पर क्रमांक डीजीएस निर्देशांक Backward and Forward bearing एवं अपनें निकटवर्ती पीलरों से दूरी दर्शायी जाएगी।

उप वन संरक्षक एवं उप क्षेत्रीय निदेशक
(प्रथम) रणथम्भौर बाघ परियोजना
सवाई माधोपुर

(रामराज मीणा)
अधिशाषी अभियन्ता
अधिशाषी अभियन्ता
सा.नि.वि. खण्ड–।। स.माधोपुर

E:\D\XEN RR MEENA/conservation of forest sh-30

शपथ पत्र
(शर्त नम्बर 7)

पर्यावरण वन एवं जलवायु परिवर्तन मंत्रालय क्षेत्रीय कार्यालय (मध्य) लखनऊ के पत्र संख्या संख्या 8बी/राज0/06/10/2017/एफ.सी./534 दि.18.10.2017 के बिन्दु संख्या 7 के अनुसार आईआरसी के मानको के अनुरूप तथा माननीय राष्ट्रीय हरित अभिकरण (एनजीटी) सेन्ट्रल जॉन बेंच भोपाल द्वारा प्रार्थना पत्र संख्या 27/2015 बाबू लाल जाजू बनाम राजस्थान सरकार में दिनांक 16.11.2015 मे दिये गये आदेश की अनुपालना में प्रयोक्ता अभिकरण द्वारा स्वयं के व्यय पर वन विभाग की निगरानी में सडक के दोनो तरफ वृक्षारोपण किया जायेगा।

उप वन संरक्षक एवं उप क्षेत्रीय निदेशक
(प्रथम) रणथम्भौर बाघ परियोजना
सवाई माधोपुर

(रामराज मीना)
अधिशाषी अभियन्ता
अधिशाषी अभियन्ता स.मा.
सा.नि.वि. खण्ड-।। स.माधोपुर

E:\D\XEN RR MEENA/conservation of forest sh-30

<u>शपथ पत्र</u>

(शर्त नम्बर 8)

पर्यावरण वन एवं जलवायु परिवर्तन मंत्रालय क्षेत्रीय कार्यालय (मध्य) लखनऊ के पत्र संख्या संख्या 8बी/राज0/06/10/2017/एफ.सी./534 दि.18.10.2017 के बिन्दु संख्या 8 के अनुसार प्रयोक्ता अभिकरण मडडिस्पोजल वनक्षेत्र में निस्ताप्ति नही किया जावेगा।

(रामराज मीणा)
अधिशाषी अभियन्ता
अधिशाषी. अभियन्ता
सा.नि.वि. खण्ड-।। स.माधोपुर

उप वन संरक्षक एवं उप क्षेत्रीय निदेशक
(प्रथम) रणथम्भौर बाघ परियोजना
सवाई माधोपुर

E:\D\XEN RR MEENA/conservation of forest sh-30

शपथ पत्र
(शर्त नम्बर 9)

पर्यावरण वन एवं जलवायु परिवर्तन मंत्रालय क्षेत्रीय कार्यालय (मध्य) लखनऊ के पत्र संख्या संख्या 8बी/राज0/06/10/2017/एफ.सी./534 दि.18.10.2017 के बिन्दु संख्या 9 के अनुसार प्रयोक्ता अभिकरण एवं राजस्थान सरकार द्वारा विधिवत स्वीकृति से पूर्व किसी प्रकार से वनसंरक्षण अधिनियम 1980 का उल्लंखन नही किया जावेगा।

उप वन संरक्षक एवं उप क्षेत्रीय निदेशक
(प्रथम) रणथम्भौर बाघ परियोजना
सवाई माधोपुर

(रामराज मीणा)
अधिशाषी अभियन्ता स.मा.
सा.नि.वि. खण्ड-।। स.माधोपुर

E:\D\XEN RR MEENA/conservation of forest sh-30

शपथ पत्र
(शर्त नम्बर 10)

पर्यावरण वन एवं जलवायु परिवर्तन मंत्रालय क्षेत्रीय कार्यालय (मध्य) लखनऊ के पत्र संख्या संख्या 8बी/राज0/06/10/2017/एफ.सी./534 दि.18.10.2017 के बिन्दु संख्या 10 के अनुसार प्रयोक्ता अभिकरण द्वारा वनसंरक्षण अधिनियम 1980 का कोई उल्लंखन नही किया गया है।

उप वन संरक्षक एवं उप क्षेत्र निदेशक
रणथम्भौर बाघ परियोजना
सवाई माधोपुर

(राधेश्याम मीना)
अधिशाषी अभियन्ता
सा.नि.वि. खण्ड–II स.माधोपुर

E:\D\XEN RR MEENA/conservation of forest sh-30

शपथ पत्र
(शर्त नम्बर 12)

पर्यावरण वन एवं जलवायु परिवर्तन मंत्रालय क्षेत्रीय कार्यालय (मध्य) लखनऊ के पत्र संख्या संख्या 8बी/राज0/06/10/2017/एफ.सी./534 दि.18.10.2017 के बिन्दु संख्या 12 के अनुसार प्रयोक्ता अभिकरण द्वारा वर्तमान एवं भविष्य में योजनाओ पर लागू सभी नियम, कानून एवं दिशा निर्देशो का पालना किया जावेगा।

उप वन संरक्षक एवं उप क्षेत्रीय निदेशक
(प्रथम) रणथम्भौर बाघ परियोजना
सवाई माधोपुर

(रामराज मीना)
अधिशाषी अभियन्ता
अधिशाषी अभियन्ता
सा.नि.वि. खण्ड-।। स.माधोपुर

E:\D\XEN RR MEENA/conservation of forest sh-30

कार्यालय अधिशाषी अभियन्ता सा0नि0वि0 रा0रा0मार्ग खण्ड प्रथम जयपुर
बी–ब्लाक निर्माण भवन जैकब रोड जयपुर।

क्रमांकः– 3814 **दिनांकः–** 21.2.18

श्रीमान शाखा प्रबन्धक,
Syndicate Bank,
M.I. Road C- Scheme Jaipur.

विषय :– वेतन एवं लेखाधिकारी सडक परिवहन एवं राजमार्ग मंत्रालय भारत सरकार डी.सी.एम. जयपुर के द्वारा RTGS की गई राशि रु. 26009369.00 एवं राशि रु. 14808700.00 के सत्यापन के क्रम में।

महोदय,

उपरोक्त विषयान्तर्गत लेख है, कि इस कार्यालय द्वारा निम्नलिखित खातों में जमा करवाने हेतु एच.आर. पारित कर मोर्थ कार्यालय भिजवायी गयी थी। उक्त खातेदार (वन विभाग) द्वारा जमा कराई गई राशि का प्रमाण पत्र मांगा गया है। जो आपकी बैंक शाखा से वेतन एवं लेखाधिकारी सडक परिवहन एवं राजमार्ग मंत्रालय भारत सरकार डी.सी.एम. जयपुर के द्वारा निम्नलिखित राशि राजकीय खाते में RTGS के द्वारा जमा करवाई गयी थी। जिसका विवरण निम्नानुसार हैः–

क्रम संख्या	खातेदार का नाम	खाता संख्या एवं बैंक का नाम	राशि	जमा की दिनांक	यू.टी.आर. संख्या
1.	Rajasthan CAMPA	150856116889350 Corporation Bank	26009369.00	29.12.2017	P17122962550639
2	Rajasthan Protected Areas Conservation Society	61087162999 State Bank of India	14808700.00	11.01.2018	P18011170526882

कृपया उक्त RTGS की गई राशि का **सत्यापन (प्रमाण पत्र) जारी करवाने का श्रम करें।** सडक परिवहन एवं राजमार्ग मंत्रालय भारत सरकार डी.सी.एम. जयपुर के द्वारा उक्त भुगतान का RTGS करने का विवरण पत्र के साथ संलग्न है।

अग्रिम कार्यवाही हेतु प्रेषित है।

संलग्न :– विवरण पत्र की प्रति।

भवदीय,

(अजय भूपेश)
अधिशाषी अभियन्ता
सा0नि0वि0रा0रा0मार्ग
खण्ड–प्रथम जयपुर

कार्यालय अधिशाषी अभियन्ता सा.नि.वि.रा.रा.मार्ग खण्ड–प्रथम जयपुर

क्रमांकः– 3124 दिनांकः– 01.01.2018

श्रीमान उप वन संरक्षक एवं
उप क्षेत्र निदेशक (प्रथम)
बाघ परियोजना रणथम्भौर
सवाईमाधोपुर

विषयः–Diversion of forest land in favour of public works Department Sawai Madhopur for widening strengthening and reconstruction of Sawai-Madhoupur-Shivpuri road (SH-30) Km. 82/700 to 93/390 at tehsil and District Sawaimadhopur with felling of 166 nos of these reg.

प्रसंगः– आपके पत्र क्रमांक एफ ( ) एफसीए /उवस, प्रथम /2017/11697–702 दिनांक 28.11.2017 के क्रम में।

महोदय,

उपरोक्त विषय में निवेदन है कि आपके द्वारा निर्माण कार्य widening strengthening and reconstruction of NH-552 Extn. From Km. 76/600 to 112/00 Sawai Madhoupur to Shivpuri road ,Job No 552E/RJ/2017-18/700. परियोजना हेतु राशि रु. 26009369.00 की मांग की गई थी, जिसका भुगतान वेतन एवं लेखाधिकारी सडक परिवहन एवं राजमार्ग मंत्रालय डी.सी.एम. जयपुर के द्वारा Rajasthan CAMPA , Corporation Bank, A/C No. 150856116889350 में RTGS द्वारा राशि रु. 2,60,09,369.00 दिनांक 29.12.2017 को जमा करवा दिये गये हैं। कृपया उक्त प्रकरण में द्वितीय स्टेज Permission की अग्रिम कार्यवाही अविलम्ब करवाकर इस कार्यालय को सूचित करने की कृपा करें।

संलग्नः– UTR Report की प्रति

भवदीय

(अजय भूपेश)
अधिशाषी अभियन्ता
सा0नि0वि0रा0रा0मार्ग
खण्ड प्रथम जयपुर

क्रमांकः– 3124-28 दिनांकः 1.1.18

प्रतिलिपि निम्नलिखित को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रस्तुत हैः–

1. श्रीमान मुख्य अभियन्ता(एन0एच0) सा0नि0वि0 राजस्थान जयपुर।
2. श्रीमान अतिरिक्त मुख्य अभियन्ता सा0नि0वि0 संभाग भरतपुर।
3. श्रीमान अधीक्षण अभियन्ता सा0नि0वि0 रा0रा0मार्ग वृत जयपुर/वृत सवाईमाधोपुर।
4. अधिशाषी अभियन्ता सा0नि0वि0 खण्ड द्वितीय सवाईमाधोपुर को आपके पत्र क्रमांक 2620 दिनांक 04.12.2017 के अनुसार उक्त भुगतान जमा करवा दिया गया है, अतः उक्त प्रकरण में सम्बन्धित अधिकारियों को Ist Stage Permission की पालना रिपोर्ट प्रस्तुतु करके द्वितीय स्टेज Permission की अग्रिम कार्यवाही अविलम्ब करवाने का कष्ट करें

अधिशाषी अभियन्ता

कार्यालय अधिशाषी अभियन्ता सा.नि.वि.रा.रा.मार्ग खण्ड–प्रथम जयपुर

क्रमांकः– 3450

दिनांकः– 23-01-2018

श्रीमान उप वन संरक्षक एवं
उप क्षेत्र निदेशक (प्रथम)
बाघ परियोजना रणथम्भौर
सवाईमाधोपुर

विषयः–Diversion of forest land in favour of public works Department Sawai Madhopur for widening strengthening and reconstruction of Sawai-Madhoupur-Shivpuri road (SH-30) Km. 82/700 to 93/390 at tehsil and District Sawaimadhopur with felling of 166 nos of these reg.

प्रसंगः– आपके पत्र क्रमांक एफ ( ) एफसीए /उवस, प्रथम /2017–18/12283 दिनांक 15.12.2017 के क्रम में।

महोदय,

उपरोक्त विषय में निवेदन है कि आपके द्वारा निर्माण कार्य widening strengthening and reconstruction of NH-552 Extn. From Km. 76/600 to 112/00 Sawai Madhoupur to Shivpuri road ,Job No 552E/RJ/2017-18/700. परियोजना हेतु प्रोजेक्ट राशि का 2 प्रतिशत राशि रु. 14808700.00 की मांग की गई थी, जिसका भुगतान वेतन एवं लेखाधिकारी सडक परिवहन एवं राजमार्ग मंत्रालय डी.सी.एम. जयपुर के द्वारा Rajasthan Protected Areas Conservation Society , State Bank of India, Tilk Marg Branch Jaipur A/C No. 61087162999 में RTGS द्वारा राशि रु. 14808700.00 दिनांक 11.01.2018 को जमा करवा दिये गये हैं। कृपया उक्त प्रकरण में द्वितीय स्टेज Permission की अग्रिम कार्यवाही अविलम्ब करवाकर इस कार्यालय को सूचित करने की कृपा करें।

संलग्नः– UTR Report की प्रति

भवदीय

(अजय भूपेश)
अधिशाषी अभियन्ता
सा0नि0वि0रा0रा0मार्ग
खण्ड प्रथम जयपुर

क्रमांकः– 3450-54

दिनांकः 23-1-18

प्रतिलिपि निम्नलिखित को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रस्तुत हैः–

1. श्रीमान मुख्य अभियन्ता(एन0एच0) सा0नि0वि0 राजस्थान जयपुर।
2. श्रीमान अतिरिक्त मुख्य अभियन्ता सा0नि0वि0 संभाग भरतपुर।
3. श्रीमान अधीक्षण अभियन्ता सा0नि0वि0 रा0रा0मार्ग वृत जयपुर/वृत सवाईमाधोपुर।
4. अधिशाषी अभियन्ता सा0नि0वि0 खण्ड द्वितीय सवाईमाधोपुर को आपके पत्र क्रमांक 2621 दिनांक 04.12.2017 के अनुसार उक्त भुगतान जमा करवा दिया गया है, अतः उक्त प्रकरण में सम्बन्धित अधिकारियों को Ist Stage Permission की पालना रिपोर्ट प्रस्तुतु करके द्वितीय स्टेज Permission की अग्रिम कार्यवाही अविलम्ब करवाने का कष्ट करें। (संलग्नः– UTR Report की प्रति)

अधिशाषी अभियन्ता

कार्यालय अधिशाषी अभियन्ता सा.नि.वि.रा.रा.मार्ग खण्ड–प्रथम जयपुर

कमांकः– 3124 दिनांकः– 01-01-2018

श्रीमान उप वन संरक्षक एवं
उप क्षेत्र निदेशक (प्रथम)
बाघ परियोजना रणथम्भौर
सवाईमाधोपुर

विषयः–Diversion of forest land in favour of public works Department Sawai Madhopur for widening strengthening and reconstruction of Sawai-Madhoupur-Shivpuri road (SH-30) Km. 82/700 to 93/390 at tehsil and District Sawaimadhopur with felling of 166 nos of these reg.

प्रसंगः– आपके पत्र कमांक एफ ( ) एफसीए / उवस, प्रथम / 2017 / 11697–702 दिनांक 28.11.2017 के कम में।

महोदय,

उपरोक्त विषय में निवेदन है कि आपके द्वारा निर्माण कार्य widening strengthening and reconstruction of NH-552 Extn. From Km. 76/600 to 112/00 Sawai Madhoupur to Shivpuri road ,Job No 552E/RJ/2017-18/700. परियोजना हेतु राशि रु. 26009369.00 की मांग की गई थी, जिसका भुगतान वेतन एवं लेखाधिकारी सडक परिवहन एवं राजमार्ग मंत्रालय डी.सी.एम. जयपुर के द्वारा Rajasthan CAMPA , Corporation Bank, A/C No. 150856116889350 में RTGS द्वारा राशि रु. 2,60,09,369.00 दिनांक 29.12.2017 को जमा करवा दिये गये हैं। कृपया उक्त प्रकरण में द्वितीय स्टेज Permission की अग्रिम कार्यवाही अविलम्ब करवाकर इस कार्यालय को सूचित करने की कृपा करें।

संलग्नः– UTR Report की प्रति

भवदीय

(अजय भूपेश)
अधिशाषी अभियन्ता
सा0नि0वि0रा0रा0मार्ग
खण्ड प्रथम जयपुर

कमांकः– 3124 - 28 दिनांकः 1.1.18

प्रतिलिपि निम्नलिखित को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रस्तुत हैः–

1. श्रीमान मुख्य अभियन्ता(एन0एच0) सा0नि0वि0 राजस्थान जयपुर।
2. श्रीमान अतिरिक्त मुख्य अभियन्ता सा0नि0वि0 संभाग भरतपुर।
3. श्रीमान अधीक्षण अभियन्ता सा0नि0वि0 रा0रा0मार्ग वृत जयपुर / वृत सवाईमाधोपुर।
4. अधिशाषी अभियन्ता सा0नि0वि0 खण्ड द्वितीय सवाईमाधोपुर को आपके पत्र कमांक 2620 दिनांक 04.12.2017 के अनुसार उक्त भुगतान जमा करवा दिया गया है, अतः उक्त प्रकरण में सम्बन्धित अधिकारियों को Ist Stage Permission की पालना रिपोर्ट प्रस्तुतु करके द्वितीय स्टेज Permission की अग्रिम कार्यवाही अविलम्ब करवाने का कष्ट करें

अधिशाषी अभियन्ता

AdhocReports
SchemeWiseContactDetails
Home
CAM Reports
Masters
Users
Agency
Sanctions
PreSanction
Sanction Custom Fields
Printing Templates
Sanction Templates
Employee Info. System
Reports
Masters
My Schemes
Agencies
Scheme Allocation
Register/ Track Issue
Utilisation Certificate
OLD UC

Sanction Details

Controller: 024-ROAD TRANSPORT & HIGHWAYS
Sanction Status: Approved
Sanction Number: 3044
Sanction Date: 26/12/2017
Sanction Type: Expenditure (DDO Bill)
Sanction Amount: 14808700
IFD Number: RW/JAI/RJ/CE-RO/NH-12014/2017-18/14
IFD Date: 08/11/2017
Plan Scheme: 0833-WORKS UNDER ROADS WING
PAO: 034975-PAO(NH),Jaipur
DDO: 234977-SE, Civil
Remarks: HR FOR FOREST PAYMENT

Created By: eenhjaipur
Created On: 26/12/2017 03:59:44 PM
Modified By: eenhjaipur
Modified On: 26/12/2017 04:01:12 PM

Account Details:

Grant	Department (For UT Grants Only)	Function Head	Object Head	Category	Amount	External PAO	Available Budget
081 - Ministry of Road Transport and Highways		5054013370301 - WORKS FINANCE FROM CENTRAL ROAD FUND	53 - MAJOR WORKS	5 - VOTED	14808700		114399288

Vendor Details

An Error has occured in this page.Please contact administrator

Payee Details | Print Sanction Order | Back

PROFORMA

Diversion of 6.86 ha. Of forest land in favor of public works Department, Sawai Madhopur for wideing streagthening and reconstruction of Sawai madhopur – Shivpuri road (SH 30) Km 82/700 to 93/390 at tehsil and Distri ct Sawai Mahopur with felling of 166 nos of these reg. (Rajasthan)

S.N.	Observation	Remark
1	Name of Regional Office	Regional Officer, (Central), MOEF & CC Lucknow
2	State/Distt/Forest Division to which the proposal relates	Rajasthan State Sawai Madhopur District (DCFRTR(1)SWM)
3	Name of User Agency, Nature of proposal	Executive Engineer, PWD Sawai Madhopur
4	Extent of forest area is involved	6.86 Hac
5	Whether Original or extended	Original proposal.
6	If extension of lease, please clearly if proposal involves additional forest area, and if so, specify	No
7	Date of 1st stage clearance	07.03.2017 Approval under FCA 1980 sec2 (iii)
8	Extent of CAMPA charges, head wise viz, (a) Compensatory Afforestation (b) Additional CA (c) Penal CA (d) Catchment Area Treatment (e) Wildlife Management Plan (f) Additional charges for diversion of area falling under notified protected area (g) Net Present Value (h) Any other charges/Levies	 1190313.528 1614925.2 0 0 0 0 23204130.00.00 0
9	Details of Bank draft(Bank Draft no Date and amount) against item indicated in paragraph above 9	-
10	Whether deposited by RTGS, If, so the particulars & Date of remittance	Amount Transferred by RTGS dated 29.12.17
11	Bank (Corporation Bank, Lodhi Complex/ Union Bank of India, Sunder Nagar) in which deposited, with date of deposition	Rajasthan Campa Corporation Bank A/C No. 150856116889350 New Delhi (Copy of E-Challan and transection details are enclosed)
12	Any other remark	No

(BIJO JOY)
Dy. Conservator of Forests
and Dy. Field Director (
Project Tiger, Sawai Madhopur

सरकारी खाता – नकद देय नहीं ACCOUNT GOVERNMENT - NOT PAYABLE IN CASH

सिंडीकेट बैंक,एम.आई. रोड,जयपुर
SYNDICATE BANK,M.I. ROAD, JAIPUR

A/c. Payee only

D	D	M	M	Y	Y	Y	Y
0	4	0	4	2	0	1	8

Pay Deputy Forest Conservative and Deputy Regional Director (I) Ranthambore Tiger Project Sawai Madhopur को ही Only

रुपये Rupees Six Lakhs ninety seven thousand six hundred twenty only अदा करें। ₹ 697620/-

A/c No. 830[illegible]0275
IFSC Code : SYNB0008300

भारत सरकार
पोत,सड़क परिवहन एवं राजमार्ग मंत्रालय
वे.एवं ले.अ. (रा.रा.) जयपुर
GOVERNMENT OF INDIA
MINISTRY OF SHIPPING, ROAD TRANSPORT & HIGHWAYS
PAO,(NH) JAIPUR
UNDER ₹ 697,621/- रुपये से कम

टिप्पणी :- जिस तारीख से जारी किया गया है उस दिन से केवल तीन महीने तक भुगतान हो सकता है।
N.B. :- VALID FOR THREE MONTHS ONLY FROM THE DATE OF ISSUE.

R.H. Bairwal
वे.एवं ले.अ. (रा.रा.)
PAY & ACCOUNTS OFFICER (NH)
Please sign above

⑈069843⑈ 302025002⑆

27

Scanned by CamScanner

कार्यालय जिला कलेक्टर, सवाई माधोपुर

क्रमांकः राजस्व/2017/1902 दिनांकः 08 अप्रेल, 2017

-: आ दे श :-

अधिशाषी अभियन्ता सार्वजनिक निर्माण विभाग, खण्ड द्वितीय सवाई माधोपुर ने अवगत कराया है कि सवाई माधोपुर से शिवपुरी रोड स्टेट हाईवे सं 30 के चौड़ाईकरण हेतु सवाई माधोपुर कि.मी. 82/700 से बोदल कि.मी. 93/390 तक वन विभाग की 6.86 है0 भूमि की आवश्यकता है। इस भूमि के बदले 6.86 है0 गैर वन भूमि वन विभाग को हस्तान्तरित की जानी है। इस भूमि के अभाव में उक्त सड़क मार्ग का कार्य लम्बे समय से अटका हुआ है, जिससे क्षेत्र की आम जनता को भारी कठिनाइयों का सामना करना पड़ता है। अतः जनहित को दृष्टिगत रखते हुए इस सम्बन्ध में तहसीलदार, सवाई माधोपुर से प्राप्त प्रस्ताव के अनुसार वन विभाग (रणथम्भौर बाघ परियोजना, सवाई माधोपुर) से सड़क के चौड़ाईकरण के लिए ली जाने वाली 6.86 है0 वन भूमि के बदले तहसील, सवाई माधोपुर के ग्राम आवण्ड में स्थित भूमि ख0नं0 758/1147 रकबा 2.35 है0 किस्म बारानी-2 सिवायचक लगानी एवं ख0नं0 809 रकबा 5.01 है0 में से 4.51 है0 किस्म बंजर सिवायचक कुल 6.86 है0 भूमि जो वन विभाग की भूमि से लगी हुई है वन विभाग (रणथम्भौर बाघ परियोजना), सवाई माधोपुर को हस्तान्तरित की जाती है।

ह0
(केoसीo वर्मा)
जिला कलेक्टर,
सवाई माधोपुर

क्रमांकः राजस्व/2017/1903-09 दिनांकः 08 अप्रेल, 2017

प्रतिलिपि निम्न को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित है:-

1. संयुक्त शासन सचिव,राजस्व (ग्रुप-3) विभाग, राजस्थान, जयपुर को अनुमोदनार्थ।
2. प्रधान मुख्य वन संरक्षक एवं मुख्य वन्य जीव प्रतिपालक, राजस्थान, जयपुर
3. उप वन संरक्षक(कोर एरिया), रणथम्भौर बाघ परियोजना, सवाई माधोपुर को भिजवाकर लेख है कि सवाई माधोपुर कि.मी. 82/700 से बोदल कि.मी. 93/390 तक वन विभाग की 6.86 है0 भूमि सार्वजनिक निर्माण विभाग के नाम हस्तान्तरण करवावें।
4. अधीक्षण अभियन्ता, सार्वजनिक निर्माण विभाग, वृत सवाई माधोपुर
5. अधिशाषी अभियन्ता, सार्वजनिक निर्माण विभाग, द्वितीय खण्ड सवाई माधोपुर
6. तहसीलदार, सवाई माधोपुर को भिजवाकर लेख है कि उक्त भूमि का उप वन संरक्षक (कोर एरिया), रणथम्भौर बाघ परियोजना, सवाई माधोपुर के नाम राजस्व रिकॉर्ड में अंकन कर कब्जा संभलवाने की व्यवस्था करें।
7. पटवारी हल्का लहसोड़ा द्वारा तहसीलदार, सवाई माधोपुर
8. रक्षित पत्रावली

जिला कलेक्टर,
सवाई माधोपुर

नामान्तरकरण रजिस्टर ग्राम - आवण्ड पटवार हल्का लहदोड़ा भू.अ.नि. लहदोड़ा तहसील - मं.मा. जिला - [illegible]

प्रविष्टि की क्रम संख्या	[illegible] की संख्या	[illegible]		[illegible] वर्गीकरण	[illegible]	विनिर्दिष्टियों सहित काश्तकार का नाम	[illegible]	विनिर्दिष्टियों सहित काश्तकार का नाम		[illegible]	[illegible] वर्गीकरण	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]
1	2	3		4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15
342	1	758/1147	2.35	बारानी 2	—	विनाय न्यू लगानी		वन विभाग (रणथम्भौर बाघ परियोजना) स.मा.	758/1147	2.35	गैर मुमकिन जंगलात 2		आदेश कार्यालय जिला कलेक्टर आदेश क्रमांक 1902 दिनांक 8-4-17 व कार्यालय तहसीलदार भू.अ. क्रमांक 2/4/17/1492-93 दि. 13-4-17	10-	श्रीमानजी, मुताबिक आदेश के नामान्तरण दर्ज कर वास्ते जांच एवं तस्दीक हेतु पेश है। 12-4-17 पटवारी लहदोड़ा
		809	5.01	जंगल	—				1245/809	4.51	गैर मुमकिन जंगलात				
		किता 2	7.36						किता 2	6.86					
						14 लहदोड़ा श्री ... जांच ... गई ... 12-4-17		... अनुसार ... तस्दीक ... 12/4/17							

राजकीय हेतु

सत्यप्रतिलिपि
13-4-18

प्रमाणित

राज. रा. प. 25 (बी)
(देखिये नियम 13)

आंशिक (केवल नकल के उपयोग के लिए)

... बी (खतौनी) ग्राम आरड़ पटवार मंडल लदाणा भू-अभिलेख निरीक्षक क्षेत्र लदाणा तहसील [illegible] जिला [illegible] राजस्थान सम्वत् 2073 से 2076

खतौनी सं. पुरानी	भू-धारकों का नाम	काश्तकार का नाम मय पिता का नाम, जाति तथा निवास स्थान के पते सहित एवं भू-धृति का स्वरूप	खसरा संख्या	क्षेत्रफल	मृदा (भूमि) वर्गीकरण	सिंचाई के क्षेत्र	कृषक द्वारा: दर सहित ब्यौरा	कृषक द्वारा: रकम	सम्वत् ...... के लिए: अंतरण के प्रकार सहित अनुप्रमाणित नामान्तरकरण के आदेश की संख्या एवं तारीख	सम्वत् ...... के लिए: भूमि के ब्यौरे सहित अन्तरण की विशिष्टियां, जिसके पक्ष में भूमि अंतरित की गई है।	सम्वत् ...... के लिए: अंतरण के प्रकार सहित अनुप्रमाणित नामान्तरकरण के आदेश की संख्या एवं तारीख	सम्वत् ...... के लिए: भूमि के ब्यौरे सहित अन्तरण की विशिष्टियां, जिसके पक्ष में भूमि अंतरित की गई है।	सम्वत् ...... के लिए: अंतरण के प्रकार सहित अनुप्रमाणित नामान्तरकरण के आदेश की संख्या एवं तारीख	सम्वत् ...... के लिए: भूमि के ब्यौरे सहित अन्तरण की विशिष्टियां, जिसके पक्ष में भूमि अंतरित की गई है।	टिप्पणियां
2	3		5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
1 129	राज. सरकार	सिवाय चक लगानी	758/1147	2.35	बारानी	—	—	—	नाके. 342 / 12.4.17						
			809	5.01	अंगोर	—	—	—							
			कुल खसरा 2	कुल रकबा 7.36											

(टिप्पणी, कॉलम 11–17 में हस्तलिखित:) नाके. 342 / 12.4.17 वा कार्यालय जिला कलेक्टर रा.रा. के आदेश की पालना में खसरा नम्बर 758/1147 2.35 (1246/809) रकबा 4.51 किता-2 रकबा 6.86 है. वन विभाग (स्वावलम्बन बाग परियोजनार्थ) रा.सा. के नाम स्वीकार किया गया।

राजकार्य हेतु निशुल्क जारी
सत्य प्रतिलिपि
13-4-18
प. लदाणा

नामान्तरण रजिस्टर ग्राम - आवेन्द पटवार हल्का लखछोड़ा भू.अ. निरी. लखछोड़ा तहसील - मु.ना. जिला मुजफ्फराबाद [illegible]

क्रम संख्या		खसरा नं.	रकबा			विनिश्चितियों सहित काश्तकार का नाम		विनिश्चितियों सहित काश्तकार का नाम	खसरा नं.	रकबा			आदेश	फीस	टिप्पणी
2	1	758/1147	2.35	बारानी 2	—	विवाद नहीं रजानी	—	वन विभाग राजस्थान जाब फड़ियां जमा नि. गा.	758/1147	2.35	[illegible]		आदेश [illegible] सहायक वन संरक्षक आर्डर प्रमाण [illegible] 1902 दिनांक 8-4-17 व [illegible] तहसीलदार [illegible] 04/17/1492-93 दि. 8-4-17	10-	श्रीमानजी, मुता० आदेश के नामा० दर्ज कर वास्ते जांच एवं तस्दीक हेतु सेवा में है। [illegible] 12-4-17 प० लखछोड़ा
		809	5.01	बंजड़	—				1246/809	4.51	[illegible]				
		किता 2	7.86						किता 2	6.86					

148 लखछोड़ा श्री [illegible] जांच [illegible] तस्दीक सही है [illegible] 12-4-17

स्वीकृत, [illegible] [illegible] तहसील [illegible] 12/4/17

[illegible] राजस्व [illegible]

सत्यप्रतिलिपि

उप वन संरक्षक एवं उप निदेशक (प्रथम)

[illegible] CTBR 13/4/17

अल्पसंख्यक मामलात विभाग ने जयपुर से साढ़े तीन सौ मदरसों का रिकॉर्ड मांगा

जयपुर| अल्पसंख्यक मामलात [विभाग] ने जयपुर के सभी साढ़े तीन [मद]रसों का रिकॉर्ड तलब किया [है।] छात्र संख्या, केशबुक, स्टॉक और अध्यापक उपस्थिति रजिस्टर में गड़बड़ी की लगातार मिल रही शिकायतों के बाद विभाग हरकत में आया है। अधिकांश मदरसों में रिकॉर्ड या तो उपलब्ध नहीं है, या फिर उपलब्ध रिकॉर्ड अपडेट नहीं है। रिकॉर्ड मांगते ही मदरसा संचालकों में खलबली मच गई है। ऐसे मदरसों पर शिकंजा कसने के लिए जिला अल्पसंख्यक कल्याण अधिकारी जयपुर ने रिकॉर्ड की जांच की पूरी तैयारी कर ली है। विभाग को शिकायत मिली थी कि मदरसों में छात्र संख्या भी सही नहीं है। वास्तविक और रिकॉर्ड में उपलब्ध छात्र संख्या में भारी अंतर है।

मदरसों के रिकॉर्ड की जांच होने से मदरसों में पढ़ रहे विद्यार्थियों और यहां काम कर रहे पैराटीचर्स की वास्तविक संख्या सामने आ सकेगी। इससे कागजों में चल रहे और अच्छा काम करने वाले मदरसों का पता चल सकेगा। कागजी मदरसे बंद हो जाएंगे।
– **अमीन कायमखानी,** संरक्षक, राजस्थान मदरसा शिक्षा सहयोगी संघ

मांगने पर मदरसे कोई जानकारी उपलब्ध ही नहीं करा पाते। इनका रिकॉर्ड अपडेट नहीं रहता। जयपुर के सभी मदरसों की निरीक्षण किया जाएगा, ताकि मदरसों का रिकॉर्ड अपडेट हो सके। जो मदरसे निरीक्षण में सहयोग नहीं करेंगे, उनको नोटिस जारी किया जाएगा।
– **मोहम्मद जाकिर,** जिला अल्पसंख्यक कल्याण अधिकारी, जयपुर

पदाओं
दौरान
...न्स
सम्मान
...आमंत्रण
...दा प्रबंधन पुरस्कार
नामांकन
7 जनवरी, 2019
तक खुले हैं
www.dmawards.ndma.gov.in
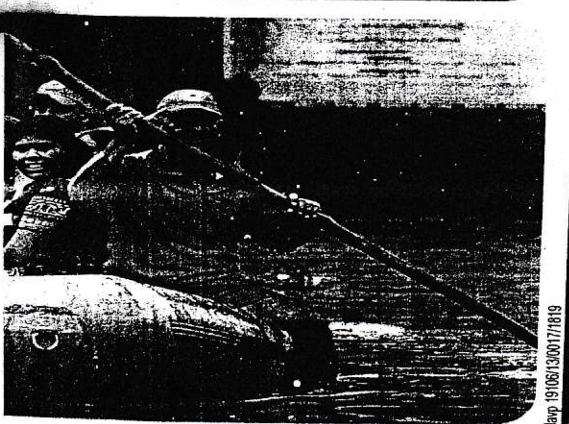

...s on: @ NDMA.in @ ndmaindia / ndmaindia YouTube / NDMAIndia

भारत सरकार (दैनिक भास्कर) 20.12.18

पर्यावरण, वन एवं जलवायु परिवर्तन मंत्रालय
क्षेत्रीय कार्यालय (मध्य) केन्द्रीय भवन, पंचम तल, सैक्टर-एच, अलीगंज, लखनऊ

पत्र संख्या-8बी/राज0/06/10/2017/एफ.सी./534 दिनांक : 18.10.2017

सेवा में,

अतिरिक्त प्रधान मुख्य वन संरक्षक (वन संरक्षण) एवं
नोडल अधिकारी वन विभाग अरण्य भवन
झालाना इंस्टीट्यूशनल एरिया, जयपुर (राज.)

आदेश

Online Proposal No. FP/Raj/Road/16889/2015

विषय : Diversion of 6.86 ha.of forest land in favour of Public Work Department , Sawai Madhopur for widening, strengthening and reconstruction of Sawai Madhopur-Shivpuri road (SH-30) Km. 82/700 to 93/390 at Tehsil and District Sawai Madhopur with felling of 166 nos of trees-reg.

सन्दर्भ: अति0 प्रधान मुख्य वन संरक्षक एवं नोडल अधिकारी, जयपुर राजस्थान का पत्रांक-एफ14(रोड)/2016/ एफ0सी0ए0/प्रमुवसं/3511, दिनांक 10.10.2017

महोदय,

उपरोक्त विषय पर अति. प्रधान मुख्य वन संरक्षक एवं नोडल अधिकारी, जयपुर राजस्थान का पत्रांक-एफ14( )/2015/एफ0सी0ए0/प्रमुवसं/1423, दिनांक 19.05.2017 का आशय ग्रहण करने का कष्ट करें, जिसके द्वारा विषयांकित प्रस्ताव पर वन (संरक्षण) अधिनियम, 1980 की धारा (2) के अन्तर्गत भारत सरकार की स्वीकृति मांगी थी।

प्रकरण को दिनांक 07.09.2017 को आहूत की गई क्षेत्रीय सशक्त समिति (REC) की बैठक में शामिल किया गया था। बैठक में विचारोपरान्त प्रकरण को सशर्त स्वीकृति प्रदान की गयी थी, जिसकी अनुपालन आख्या अति. प्रधान मुख्य वन संरक्षक एवं नोडल अधिकारी, जयपुर राजस्थान के उपरोक्त संदर्भित पत्र द्वारा प्रस्तुत की गई है।

प्रकरण में विचारोपरान्त मुझे आपको यह सूचित करने का निर्देश हुआ है कि केन्द्र सरकार उपरोक्त विषयांकित परियोजना हेतु कुल 6.86 हे. वन भूमि के प्रत्यावर्तन एवं 166 वृक्षों के पातन की सैद्धान्तिक स्वीकृति निम्नलिखित शर्तों पर प्रदान करती है :–

1. वन भूमि की वैधानिक स्थिति में कोई परिवर्तन नहीं होगा।
2. प्रयोक्ता अभिकरण द्वारा वन विभाग के पक्ष में क्षतिपूरक वृक्षारोपण के अन्तर्गत प्रभावित वन क्षेत्र के दुगुने अवनत वनभूमि पर अर्थात 13.72 हे. (6.86 × 2 = 13.72) हे. पर 600 वृक्ष प्रति हेक्टेयर वृक्षारोपण एवं 10 वर्षों तक रखरखाव हेतु आवश्यक धनराशि (प्रचिलित दरों को समाहित करते हुए यथा संशोधित) कैम्पा, नई दिल्ली में जमा की जाएगी।
3. वन संरक्षण अधिनियम, 1980 के दिशा-निर्देशों के अनुरूप अपयोजन हेतु प्रस्तावित वन भूमि ज्यादा संरक्षित क्षेत्र (टाईगर रिजर्व) के अन्तर्गत स्थित होने के कारण देय शुद्ध वर्तमान मूल्य (एन.पी.वी.) की निर्धारित राशि का पांच गुना कैम्पा, नई दिल्ली के खाते में जमा की जाएगी। इसके अतिरिक्त टाईगर रिजर्व के अधीन पड़ने वाली उक्त परियोजना हेतु प्रस्तावित गैर वन भूमि के लिए लागू दर पर एन.पी.वी. की राशि भी वसूलनीय होगी जो कैम्पा, नई दिल्ली के खाते में जमा की जाएगी।
4. प्रयोक्ता अभिकरण द्वारा माननीय उच्चतम न्यायालय के रिट पिटीशन (सिविल) 202/1995 के अन्तर्गत आई.ए. संख्या 566 एवं भारत सरकार के पत्र संख्या 5-3/2007-एफ.सी. दिनांक 05.02.2009 के तहत में दिए गए आदेशानुसार उक्त एन.पी.वी. की राशि जमा की जाएगी।
   इसके उपरान्त जमा की गई धनराशि की ऑनलाईन ई-रसीद की छायाप्रति सहित सैद्धान्तिक स्वीकृति की अनुपालना आख्या (जिसमें जमा की गई धनराशि का मदवार विवरण अर्थात क्षतिपूरक वृक्षारोपण, एन.पी.वी. हेतु जमा धनराशि का विवरण, दिया गया हो) प्रेषित की जाएगी एवं तदोपरान्त ही विधिवत स्वीकृति पर विचार किया जाएगा।
5. प्रयोक्त अभिकरण इस आशय का वचनबद्धता पत्र प्रस्तुत करेंगे कि सक्षम स्तर से यदि एन.पी.वी. की धनराशि में बढ़ोतरी होती है, तो बढ़ी हुई धनराशि प्रयोक्ता अभिकरण द्वारा जमा की जाएगी।
6. विधिवत स्वीकृति के बाद प्रस्तावित वन क्षेत्र का सीमा स्तम्भों द्वारा सीमांकन प्रयोक्ता अभिकरण के व्यय पर किया जाएगा। यह सीमांकन 4 फीट ऊंचे आर.सी.सी. पिल्लरों से किया जाएगा। जिसमें प्रत्येक पिल्लर पर क्रमांक डी.जी.पी.एस. निर्देशांक, Backward and Forward bearing एवं अपने निकटवर्ती पीलरों से दूरी दर्शाई जाएगी।
7. प्रयोक्ता अभिकरण इस आशय का वचनबद्धता पत्र प्रस्तुत करेंगे कि आई.आर.सी. के मानकों के अनुरूप तथा माननीय राष्ट्रीय हरित अधिकरण (NGT) सैंट्रल जोन बेंच, भोपाल द्वारा प्रार्थना पत्र संख्या-27/2015 बाबूलाल जाजू बनाम राजस्थान सरकार में दिनांक 16.11.2015 में दिये गये आदेश की अनुपालना में प्रयोक्ता अभिकरण द्वारा स्वयं के व्यय पर वन विभाग की निगरानी में सडक के दोनों तरफ तथा Median पर (यदि उपलब्ध है तो) वृक्षारोपण किया जाएगा।
8. प्रयोक्ता अभिकरण द्वारा मक डिस्पोजल योजना प्रभागीय वनाधिकारी द्वारा स्वीकृत करवाकर इस कार्यालय को प्रेषित की जाएगी।
9. प्रयोक्ता अभिकरण एवं राज्य सरकार यह सुनिश्चित करेंगे कि प्रस्तावित प्रकरण में विधिवत स्वीकृति से पूर्व किसी भी प्रकार से वन संरक्षण अधिनियम 1980 का उल्लंघन नहीं किया जाएगा।
10. सैद्धान्तिक स्वीकृति की अनुपालना प्रेषित करते हुए संबंधित प्रभागीय वनाधिकारी प्रकरण में वन संरक्षण अधिनियम 1980 के उल्लंघन के विषय में सूचना/प्रमाण पत्र प्रस्तुत करेंगे।
11. प्रयोक्ता अभिकरण एवं राज्य सरकार वर्तमान तथा भविष्य में लागू सभी नियम, कानून तथा दिशा निर्देश का पालन करेगी।
12. प्रयोक्ता अभिकरण द्वारा वन विभाग के पक्ष में अपयोजित वन भूमि के समतुल्य गैर वन भूमि में क्षतिपूरक वृक्षारोपण एवं 10 वर्षो तक रख-रखाव हेतु आवश्यक धनराशि (वर्तमान वेतन दरों को समाहित करते हुए यथासंशोधित) कैम्पा नई दिल्ली में जमा की जाएगी। उक्त गैर वन भूमि का वन विभाग के पक्ष में हस्तान्तरण एवं नामान्तरण किया जाएगा तथा इस भूमि को 6 माह के भीतर आरक्षित/संरक्षित वनभूमि घोषित किया जाएगा। साथ ही उक्त भूमि निकट के अभ्यारण क्षेत्र के अन्तर्गत समावेशित एवं तदनुसार अभ्यारण क्षेत्र का हिस्सा अधिसूचित की जाएगी।

उपरोक्त सभी शर्तों के परिपूर्ण एवं बिन्दुवार सुस्पष्ट अनुपालन आख्या एवं/वचनबद्धता प्रमाण-पत्र जो लागू हो, प्राप्त होने पर ही वन (संरक्षण) अधिनियम, 1980 के तहत स्वीकृति जारी की जाएगी।

भवदीय
ह/– (के.के. तिवारी)
वन संरक्षक (केन्द्रीय)

RITES THE INFRASTRUCTURE PEOPLE — RITES LTD. (A Govt. of India Enterprise)

CIN No. :L74899DL1974GOI007227

Notice Inviting e-Tender

The General Manager, RPO Ahmedabad, RITES Ltd. invites, percentage rate bids on two packet system for the following work:

NIT No.: RITES/RPO-ADI/NHSRCL/RUB/Kaligam/2018/R1, **Name of Work:** Construction of Proposed RUB near DEMU Shed, Kaligam, Ahmedabad **Estimated Cost:** Rs. 20.64 Crore, **Earnest Money:** Rs. 20.64 Lakhs, **Period of completion:** 9 Months, **Last time & date of submission of bid:** 1500 Hrs on 10/01/2019.

The bid forms and other details can be obtained from the website https://etenders.gov.in/eprocure/app

Addendum/Corrigendum, if any, shall be hosted online only.

Office of the Chief Engineer (Commercial & Planning), Thiruvananthapuram

Phone : +91 471 2514473, 9446008581, E Mail: dce.cp@kseb.in

PROCUREMENT OF 200 MW SOLAR POWER

DEEP portal reference no. KSEBL/short/18-19/ET/111/14-12-2018

KSEB Ltd is inviting bids for the procurement of 200 MW solar power on lo[...] basis from solar PV power plants to be established in Kerala on IPP mode t[...] DEEP e-bidding portal for a period of 25 years with supply comm[...] **not later than 1st March 2021. Last date for submission of bid : 1-2-2019**

For details visit www.kseb.in

PR/MC 1/F 115/2018

RITES LIMITED (A GOVERNMENT OF INDIA ENTERPRISE)

RITES BHAWAN, PLOT NO.-1, SECTOR-29, GURGAON-122001

Notice Inviting e-Tender

NIT No. PERS/51-01/2018 (Hiring Agency) Date : 20.12.2018

RITES Ltd. invites bids through E-tendering system from eligible bidders, who fulfill qualifying criteria stipulated in the tender document, on two packet system for the work of "Empanelment of Manpower Supply Agencies for providing technical and other human resources on hire basis for RITES offices/sites in India".

Estimated cost : ₹ 31.21 crore, **EMD:** ₹ 25 Lakhs, **Time period** : 24 months, Last date & time for submission of tender online is 31.01.2019 upto 11.15 Hrs.

Further details can be obtained from RITES website **http://rites.eproc.in/http://etenders.gov.in**. Addendum/ Corrigendum / Clarification, if any, shall be hosted online only.

General Manager (P&A)

PUBLIC NOTICE

This is to inform the consumers in the **DAS Notified area(s) of Vill-Anjana, Dariba, Rajpura, Mehanduriya, Gawardi, Sasera, Jashma, Azadnagar, Gamerpura, Jawasiya, Neemrana, Shahjahanpur (CT), Dist-Alwar, Teh-Behrar, Googal Kota Jonaycha Khurd, Shriyani, Rodwal, Dausod, Kayasa, Doomroli, Fauladpur, Kankar, Kuteena, Khohar, Belni, Sub-Dist-Kotkasin-Majri, Sub Dist-Mandawar-Beejwad Chanha, Bawad, Behror Jat, Kashi Kot, Mardanwasa Kalan, Mundanwara Khurd, Majri Bhanda, Majri Khola ["DAS Area(s)"]** that signals of the **Star India Pvt. Ltd.** Channels: [Comprising of- Star Plus, Star Bharat (erstwhile Life OK), Star Gold, Movies OK, Star Sports 3 (Erstwhile Channel V), Star Utsav, Star Utsav Movies, Star Sports 1, Star Sports 2, Star Sports 1 Hindi (erstwhile Star Sports 3), Star Sports 1 Tamil (erstwhile Star Sports 4), Star Sports Select 1, Star Sports Select 2 (erstwhile FX), Star World, Star Movies, National Geographic, Nat Geo Wild, Net Geo People, Fox life, Nat Geo Music, Baby TV, Star Pravah, Suvarna, Suvarna Plus, Star Jalsha, Jalsha Movies, Asianet, Asianet Plus, Asianet Movies, Vijay, Vijay Super, MAA TV, Maa Movies, Maa Music, Maa Gold, Star Gold Select (erstwhile Star Movies Action) and Star Sports First] (collectively referred as "Channels") as opted by the following Cable Operator(s) are likely to be disconnected after three weeks from today by **'Star India Pvt. Ltd.'** for these channels, in respect of the following cable operator(s). The reason for deactivation of the following cable operator(s) are as under :

(A) Non Payment of Subscription Fees :

Name of the Cable Operator(s)	Address
Mahaveer Netlink Digital Cable Pvt Ltd	61, Anjana Bas, Anjana Railmagra, Rajsamand - 313211 , Rajasthan

(B) Non Payment of Subscription Fees and Non Signing of Subscription Agreement :

Name of the Cable Operator)(s)	Address
Multireach Media Private Limited	New Colony, Neemrana, Alwar - 301705, Rajasthan

All the area(s) serviced by the Cable Operator(s) and its franchisees in the DAS Area(s) will be affected.

Issued by:

Star India Pvt. Ltd.

Star House, Urmi Estate, 95, Ganpatrao Kadam Marg, Lower Parel, Mumbai 400 013

Star

भारत सरकार

पर्यावरण, वन एवं जलवायु परिवर्तन मंत्रालय

क्षेत्रिय कार्यालय (मध्य) केन्द्रीय भवन, पंचम तल, सैक्टर-एच, अलीगंज, लखनऊ

पत्र संख्या-8बी/राज0/06/10/2017/एफ.सी./534 दिनांक 18.10.2017

(टाईम्स ऑफ इंडिया) 20.12.18

सेवा में,

अतिरिक्त प्रधान मुख्य वन संरक्षक (वन संरक्षण) एवं
नोडल अधिकारी वन विभाग अराण्य भवन
झालाना इंस्टीटयूशनल एरिया, जयपुर राजस्थान

आदेश

Online Proposal No. FP/RAJ/ROAD/16889/2015

विषय:- Diversion of 6.86 ha. of forest land in favour of Public Work Department, Sawai Madhopur for widening, strengthening and reconstruction of Sawai Madhopur-Shivpuri road (SH-30) Km. 82/700 to 93/390 at Tehsil and District Sawai Madhopur with felling of 166 nos of trees-reg.

सन्दर्भ:- अति0 प्रधान मुख्य वन संरक्षक एवं नोडल अधिकारी, जयपुर राजस्थान का पत्रांक-एफ14(रोड)/2016/एफ0सी0ए0/प्रमुवसं/3511, दिनांक 10.10.2017

महोदय,

उपरोक्त विषय पर अति0 प्रधान मुख्य वन संरक्षक एवं नोडल अधिकारी, जयपुर राजस्थान का पत्रांक-एफ14( )/2015/एफ0सी0ए0/प्रमुवसं/1423, दिनांक 19.05.2017 का आशय ग्रहण करने का कष्ट करें, जिसके द्वारा विषयांकित प्रस्ताव पर वन (संरक्षण) अधिनियम, 1980 की धारा (2) के अन्तर्गत भारत सरकार की स्वीकृति माँगी थी।

प्रकरण को दिनांक-07.09.2017 को आहूत की गयी क्षेत्रीय सशक्त समिति (REC) की बैठक में शामिल किया गया था। बैठक में विचारोपरान्त प्रकरण को सशर्त स्वीकृति प्रदान की गयी थी, जिसकी अनुपालन आख्या अति0 प्रधान मुख्य वन संरक्षक एवं नोडल अधिकारी, जयपुर राजस्थान के उपरोक्त संदर्भित पत्र द्वारा प्रस्तुत की गयी हैं।

प्रकरण में विचारोपरान्त मुझे आपको यह सूचित करने का निर्देश हुआ है कि केन्द्र सरकार उपरोक्त विषयांकित परियोजना हेतु कुल 6.86 हे0 वन भूमि के प्रत्यावर्तन एवं 166 वृक्षों के पातन की सैद्धान्तिक स्वीकृति निम्नलिखित शर्तों पर प्रदान करती है:-

1. वन भूमि की वैधानिक स्थिति में कोई परिवर्तन नहीं होगा।
2. प्रयोक्ता अभिकरण द्वारा वन विभाग के पक्ष में क्षतिपूरक वृक्षारोपण के अन्तर्गत प्रभावित वन क्षेत्र के दुगुने अवनत वनभूमि पर अर्थात 13.72 हे0 (6.86×2=13.72) हे0 पर 600 वृक्ष प्रति हेक्टेयर वृक्षारोपण एवं 10 वर्षो तक रखरखाव हेतु आवश्यक धनराशि (प्रचलित दरों को समाहित करते हुए यथा संशोधित) कैम्पा, नई दिल्ली में जमा की जाएगी।
3. वन संरक्षण अधिनियम 1980 के दिशा निर्देशों के अनुरुप अपयोजन हेतु प्रस्तावित वन भूमि ज्यादा संरक्षित क्षेत्र (टाईगर रिजर्व) के अन्तर्गत स्थित होने के कारण देय शुद्ध वर्तमान मुल्य (एन0पी0वी0) की निर्धारित राशि का पॉच गुना कैम्पा, नई दिल्ली के खाते में जमा की जाएगी। इसके अतिरिक्त टाईगर रिजर्व के अधीन पड़ने वाली उक्त परियोजना हेतु प्रस्तावित गैर वन भूमि के लिए लागू दर पर एन0पी0वी0 की राशि भी वसूलनीय होगी जो कैम्पा, नई दिल्ली के खाते में जमा की जाएगी।
4. प्रयोक्ता अभिकरण द्वारा माननीय उच्चतम न्यायालय के रिट पिटीशन (सिविल) 202/1995 के अन्तर्गत आई0ए0 संख्या 566 एवं भारत सरकार के पत्र संख्या 5-3/2007-एफ0सी0 दिनांक 05.02.2009 के तहत में दिये गये आदेशानुसार उक्त एन0पी0वी0 की राशि जमा की जाएगी।
   इसके उपरान्त जमा की गयी धनराशि की ऑनलाईन ई-रसीद की छायाप्रति सहित सैद्धान्तिक स्वीकृति की अनुपालना आख्या (जिसमें जमा की गयी धनराशि का मदवार विवरण अर्थात क्षतिपूरक वृक्षारोपण, एन0पी0वी0 हेतु जमा धनराशि का विवरण, दिया गया हो) प्रेषित की जाएगी एवं तदोपरान्त हो विधिवत स्वीकृति पर विचार किया जाएगा।
5. प्रयोक्त अभिकरण इस आशय का वचनबद्धता पत्र प्रस्तुत करेंगे कि सक्षम स्तर से यदि एन0पी0वी0 की धनराशि में बढोत्तरी होती है तो बढी हुई धनराशि प्रयोक्ता अभिकरण द्वारा जमा की जाएगी।
6. विधिवत स्वीकृति के बाद प्रस्तावित वन क्षेत्र का सीमा स्तम्भों द्वारा सीमांकन प्रयोक्त अभिकरण के व्यय पर किया जाएगा। यह सीमांकन 4 फीट ऊंचे आर0सी0सी0 पीलरो से किया जाएगा। जिसमें प्रत्येक पीलर पर क्रमांक, डी0जी0पी0एस0 निर्देशांक, Backward and Forward bearing एवं अपने निकटवर्ती पीलरों से दूरी दर्शायी जाएगी।
7. प्रयोक्ता अभिकरण इस आशय का वचनबद्धता पत्र प्रस्तुत करेंगे कि आई0आर0सी0 के मानकों के अनुरुप तथा माननीय राष्ट्रीय हरित अधिकरण (NGT) सैंट्रल जोन बेंच, भोपाल द्वारा प्रार्थना पत्र संख्या-27/2015 बाबूलाल जाजू बनाम राजस्थान सरकार में दिनांक 16.11.2015 में दिये गये आदेश की अनुपालना में प्रयोक्ता अभिकरण द्वारा स्वयं के व्यय पर वन विभाग की निगरानी में सडक के दोनों तरफ तथा Median पर (यदि उपलब्ध है तो) वृक्षारोपण किया जाएगा।
8. प्रयोक्ता अभिकरण द्वारा मक डिस्पोजल योजना प्रभागीय वनाधिकारी द्वारा स्वीकृत कराकर इस कार्यालय को प्रेषित की जायेगी।
9. प्रयोक्ता अभिकरण एवं राज्य सरकार यह सुनिश्चित करेंगे कि प्रस्तावित प्रकरण में विधिवत स्वीकृति से पूर्व किसी भी प्रकार से वन संरक्षण अधिनियम 1980 का उल्लंघन नहीं किया जाएगा।
10. सैद्धान्तिक स्वीकृति की अनुपालना प्रेषित करते हुए संबंधित प्रभागीय वनाधिकारी प्रकरण में वन संरक्षण अधिनियम 1980 के उल्लंघन के विषय में सूचना/प्रमाण पत्र प्रस्तुत करेंगे।
11. प्रयोक्ता अभिकरण एवं राज्य सरकार वर्तमान तथा भविष्य में लागू सभी नियम, कानून तथा दिशा निर्देश का पालन करेंगी।
12. प्रयोक्ता अभिकरण द्वारा वन विभाग के पक्ष में अपयोजित वन भूमि के समतुल्य गैर वन भूमि में क्षतिपूरक वृक्षारोपण एवं 10 वर्षो तक रख-रखाव हेतु आवश्यक धनराशि (वर्तमान वेतन दरों को समाहित करते हुए यथासंशोधित) कैम्पा नई दिल्ली में जमा की जाएगी। उक्त गैर वन भूमि का वन विभाग के पक्ष में हस्तान्तरण एवं नामान्तरण किया जाएगा तथा इस भूमि को 6 माह के भीतर आरक्षित/संरक्षित वनभूमि घोषित किया जाएगा। साथ ही उक्त भूमि निकट के अभ्यारण क्षेत्र के अन्तर्गत समावेशित एवं तदनुसार अभ्यारण क्षेत्र का हिस्सा अधिसूचित की जाएगी।

उपरोक्त सभी शर्तो के परिपूर्ण एवं बिन्दुवार सुस्पष्ट अनुपालन आख्या एवं/वचनबद्धता प्रमाण पत्र जो लागू हो, प्राप्त होने पर ही वन (संरक्षण) अधिनियम, 1980 के तहत स्वीकृति जारी की जायेगी।

भवदीय

ह/-

(के0के0 तिवारी)

वन संरक्षक (केन्द्रीय)